रजिस्टर्ड नं०-एच०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 9 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 19, 1944 शक संवत्) [संख्या 15

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	401–423	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	207–226	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	139–164	975
स्टॉर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-5

विज्ञप्ति / नियुक्ति

18 जनवरी, 2022 ई0

फाइल नं0 02-5099 / 13 / 2022-5I / 13347 / 2022—छत्तीसगढ़ शासन के आदेश संख्या-ई1-11 / 2021 / एक-2 दिनांक 07 जनवरी, 2022 द्वारा अवगत कराय गया है कि सुश्री श्रुति सिंह, आई0ए0एस0 (छत्तीसगढ़-2006) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाईम स्केल रु0 1,44,200-2,18,200 (पे मैट्रिक्स में लेवल-14) में दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की गयी है।

2-उत्तर प्रदेश संवर्ग में वर्ष 2006 बैच के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाईम स्केल रु0 1,44,200-2,18,200 (पे मैट्रिक्स में लेवल-14) में दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रोन्नति प्रदान की गयी है। सुश्री श्रुति सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश सेवा में अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, सुश्री श्रुति सिंह, आई0ए0एस0 (छत्तीसगढ़-2006) को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपरटाईम स्केल रु0 1,44,200-2,18,200 (पे मैट्रिक्स में लेवल-14) में प्रोफार्मा प्रोन्नति अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
धनन्जय शुक्ला,
विशेष सचिव।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग-1

प्रोन्नति

27 जनवरी, 2022 ई0

सं0 21 / 22-1-2022-107 / 99—कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के अन्तर्गत अधीक्षक कारागार (वेतनमान रु0 15,600—39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 यथा संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यरत श्री शशि कान्त सिंह को उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ अधीक्षक श्रेणी-1 (वेतनमान रु0 15,600—39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600 यथा संशोधित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

05 जनवरी, 2022 ई0

सं0 19 / छ:पु0से0-1-2022-01(अधियाचन) / 2021—चयन वर्ष 2021-2022 में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे मे अवधारित वास्तविक / परिणामी / सम्भावित रिक्तियों

के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज में विभागीय चयन समिति की दिनांक 01 जनवरी, 2022 को अपरान्ह 01.30 बजे सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-65/03/पी0/सेवा-1/2021-2022 दिनांक 04 जनवरी, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी सूचना के अनुसार माह दिसम्बर, 2021 में प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत पुलिस उपाधीक्षक के पद पर रिक्तियों की वास्तविक संख्या-26 है।

2—चयन वर्ष 2021-2022 में प्रान्तीय पुलिस सेवा के पदोन्नति कोटे में पुलिस उपाधीक्षक पद पर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 01 जनवरी, 2022 के क्रम में मा0 आयोग की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक साधारण वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदया एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

क्रम संख्या	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक (पुराना)	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक (नया)	नाम
1	2	3	4
			सर्वश्री/श्रीमती—
1	13	08	विनोद कुमार शर्मा
2	14	09	उदय प्रताप सिंह
3	44	14	अजय कुमार चौहान
4	51	15	रीता शुक्ला
5	60	17	बृजेन्द्र सिंह भड़ाना
6	89	21	संजय कुमार वर्मा
7	104	22	सुधीर कुमार त्यागी
8	127	25	प्रेम नारायण तिवारी
9	147	27	कौशल किशोर चौधरी
10	153	29	सुनील वर्मा
11	154	30	श्याम बहादुर सिंह
12	155	31	संजीव कटियार
13	156	32	नरसिंह नारायन शर्मा
14	157	33	सुनीता सिंह
15	158	34	मनोज कुमार शर्मा
16	159	35	सुनील कुमार राय
17	160	36	सुरेश सिंह
18	161	37	विजय लक्ष्मी पाण्डेय
19	163	[redacted]	सैयद मो0 असगर

1	2	3	4
			सर्वश्री / श्रीमती–
20	164	39	सुनीता कुमारी
21	165	40	अनिल कुमार सचान
22	407	41	विनय कुमार सिंह
23	166	43	श्रीप्रकाश सिंह
24	167	44	संतोष कुमार सिंह
25	169	46	देवेन्द्र कुमार शर्मा
26	170	47	अरूण कुमार मिश्रा

प्रश्नगत चयन रिट याचिका संख्या-34799 (एस / एस) / 2019 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2021 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या-410 / 2021 उ0प्र0 राज्य बनाम विजय सिंह तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित रिट याचिका संख्या-20914 / 2018 केशवचन्द्र राय बनाम उ0प्र0 राज्य एवं तदसम्बन्धी अन्य रिट याचिकाओं सहित यदि कोई प्रत्यावेदन / विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तो उसमें पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3–उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 / अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय / अनुशासनिक कार्यवाही एवं ई0ओ0डब्लू / ए0सी0ओ0 / सीबीसीआईडी / सतर्कता जांच आदि प्रचलित / लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ स्वयं सन्तुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4–पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रोन्नत कोटे में रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध है। प्रोन्नति कोटा में वास्तविक रूप से रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर ही प्रोन्नत आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा निर्गत किया जायेगा।

5–उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

प्रोन्नति

07 जनवरी, 2022 ई0

सं0 41 / छ:पु0से0-1-2022-पी0एफ0-02 / 2022–उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400 पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों की विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 07 जनवरी, 2022 में की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान (रु0 15,600-39,100, रु0 6,600 पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स पे-लेवल-11, रु0 67,700-2,08,700) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री–		
1	समीक्षा यादव	547	2013
2	भास्कर वर्मा	549	2013

1	2	3	4
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री–		
3	अजेय कुमार शर्मा	690	2013
4	बलदेव सिंह खनेड़ा	807	2013
5	अम्बरीश भदौरिया	823	2013
6	उमेश शर्मा	826	2013
7	कन्ह सिंह	829	2013
8	वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	835	2013
9	उमाशंकर सिंह	839	2013
10	रजनीश कुमार यादव	859	2014
11	कमर मजीद	869	2014
12	रामकृष्ण तिवारी	884	2014
13	देव नारायन यादव	885	2014
14	अभिषेक कुमार पाण्डेय	886	2014
15	रत्नेश्वर सिंह	887	2014
16	आलोक कुमार अवहरि	889	2014
17	त्रयम्बनाथ दुबे	890	2014
18	आशीष प्रताप सिंह	891	2014
19	नईम खान मंसूरी	893	2014
20	सतीश चन्द्र पाण्डेय	894	2014
21	सीमा यादव	895	2014
22	शेषमणि उपाध्याय	896	2014
23	यतेन्द्र सिंह नागर	897	2014
24	सुरेश कुमार	898	2014
25	शकील अहमद	899	2014
26	विकास श्रीवास्तव	700	2014
27	अजय कुमार त्रिपाठी	701	2014
28	अखिलेश राय	702	2014
29	सौम्या पाण्डेय	703	2014
30	गया चरण मिश्र	704	2014

1	2	3	4
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री–		
31	अरविन्द कुमार	705	2014
32	नीरज सिंह	707	2014
33	जगमोहन सिंह बुटोला	708	2014

2–उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश रिक्तियों / परिणामी रिक्तियों (ऐसी रिक्तियां जिन पर मुहरबन्द लिफाफा, आस्थगित चयन अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का धारणाधिकार न हो) के वास्तविक रूप में उपलब्ध होने पर उनकी ज्येष्ठता क्रम में ही निर्गत किये जायेंगे।

3–उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 42 / छ:पु0से0-1-2022-पी0एफ0-01 / 2022–उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक, (ज्येष्ठ वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600 पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-11, रु0 67,700-1,81,000) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 07 जनवरी, 2022 में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रु0 15,600-39,100, रु0 7,600 पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12, रु0 78,800-2,09,200) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री–		
1	अमित किशोर श्रीवास्तव	341	2004
2	नितेश सिंह	351	2005
3	कालू सिंह	359	2005
4	अल्का धर्मराज सिंह	362	2006
5	चक्रपाणि त्रिपाठी	363	2006
6	बृजेश कुमार सिंह	364	2006
7	विजय शंकर मिश्रा	365	2006
8	पीयूष कुमार सिंह	366	2006
9	आतिश कुमार सिंह	367	2006
10	अनिल कुमार	368	2006
11	अरुण कुमार सिंह	370	2006
12	श्रीकान्त प्रजापति	371	2006
13	अल्का	372	2006

1	2	3	4
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री--		
14	प्रदीप कुमार वर्मा	373	2006
15	अशोक कुमार सिंह	374	2006
16	विमा सिंह	375	2006
17	बबिता सिंह	376	2006
18	रचना मिश्रा	377	2006
19	मुकेश चन्द्र उत्तम	378	2006
20	कृपा शंकर	379	2006
21	कृष्णकान्त सरोज	380	2006
22	रंजन सिंह	381	2006
23	महेन्द्र पाल सिंह	382	2006
24	भीम कुमार गौतम	383	2006
25	धरम सिंह मार्छाल	387	2006
26	राजेश कुमार	389	2007
27	प्रवीण कुमार यादव	391	2007
28	दुर्गा प्रसाद तिवारी	392	2007
29	ज्ञानवती तिवारी	393	2007
30	अखिलेश सिंह	394	2007
31	विजेन्द्र द्विवेदी	396	2007
32	शिशाक शर्मा	397	2007
33	डॉ0 राकेश कुमार मिश्र	398	2007
34	रूपेश सिंह	400	2007
35	जितेन्द्र कुमार दुबे	401	2007
36	राजीव कुमार सिंह	404	2007
37	श्वेता श्रीवास्तव	406	2007
38	अल्का भटनागर	407	2007
39	विशाल यादव	409	2007
40	गीतान्जली सिंह	410	2007
41	अमित कुमार नागर	411	2007
42	अमिता सिंह	412	2007

2—उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश रिक्तियों / परिणामी रिक्तियों (ऐसी रिक्तियां जिन पर मुहरबन्द लिफाफा, आस्थगित चयन अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का धारणाधिकार न हो) के वास्तविक रूप में उपलब्ध होने पर उनकी ज्येष्ठता क्रम में ही निर्गत किये जायेंगे।

3—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

शुद्धि-पत्र

09 जनवरी, 2022 ई0

सं0 47/छ:पु0से0-1-2022-पी0एफ0-01/2022—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 6,600 पुनरीक्षित मैट्रिक्स पे-लेवल-11, रु0 67,700-1,91,000) में कार्यरत अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 07 जनवरी, 2022 में की गयी संस्तुति के पश्चात् शासन द्वारा प्रोन्नति/विज्ञप्ति सं0-42/छ:पु0से0-1-2022-पी0एफ0-01/2022 दिनांक 07 जनवरी, 2022 द्वारा 42 अधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान की गयी।

2—शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त आदेश 07 जनवरी, 2022 के क्रमांक-32 पर अंकित श्री निशांक शर्मा, (ज्येष्ठता क्रमांक-397) तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध शासन के कार्यालय आदेश ई-फाइल सं0 6-17001(008)/1/2021 दिनांक 05 मई, 2021 द्वारा अपराध सं0-421/2018 थाना कसना, जनपद गौतमबुद्धनगर की विवेचना में की गयी आपराधिक षडयन्त्र के दृष्टिगत उनके विरुद्ध धारा-120बी भादवि व 7(सी), 7ए व 8 भ्र0नि0अधि0 1988 यथा संशोधित व धारा-218 भादवि के अन्तर्गत धारा-19 भ्र0नि0अधि0 1988 व धारा-197 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्तानुसार प्रदान की गयी अभियोजन की स्वीकृति के पश्चात् श्री निशांक शर्मा, (ज्येष्ठता क्रमांक-397) तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध मा0 न्यायालय, सी0बी0आई0 गाजियाबाद में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

3—अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्री निशांक शर्मा, (ज्येष्ठता क्रमांक-397) की पदोन्नति आदेश सं0 42/छ:पु0से0-1-2022-पी0एफ0-01/2022 दिनांक 07 जनवरी, 2022 को तात्कालिक प्रभाव से उक्त आदेश के निर्गमन की तिथि दिनांक 07 जनवरी, 2022 से संशोधित/रिकॉल/निरस्त किया जाता है।

4—उक्त आदेश सं0-42/छ:पु0से0-1-2022-पी0एफ0-01/2022 दिनांक 07 जनवरी, 2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

प्रोन्नति

07 जनवरी, 2022 ई0

सं0 4012/छ:पु0से0-1-2021-रिट-29/2021—मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-ए-11409/2021 शैलेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा योजित याचिका में दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को आदेश पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है :

After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that once petitioners have been exonerated and minor penalty of censure inflicted on them have been revoked then they are entitled to be considered for promotion, for which purpose respondents are directed to convene review DPC on the same parameters on which DPC was convened on 18 February, 2021 and consider the case of the petitioners afresh on the basis of fresh material and pass appropriate orders within 30 days from the date of receipt of computer downloaded copy in PDF form of this order strictly in accordance with law.

In above terms, writ petition is disposed of.

2—मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में याची श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, ज्येष्ठता क्रमांक-56 एवं श्री उमेश कुमार पाण्डेय, ज्येष्ठता क्रमांक-76 के दण्डादेश निरस्त किये जाने के फलस्वरूप प्रत्यावेदन दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन से आख्या/प्रस्ताव प्राप्त किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन द्वारा अपने पत्र दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लेते हुए शासन के पत्र दिनांक 09 नवम्बर,

2021 द्वारा याचीगणों से सम्बन्धित ब्राडशीट मूलरूप में मा० उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न रिट याचिकाओं एवं विशेष अपीलों/अवमाननावाद में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन रिव्यू डीपीसी कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया।

3—शासन के उक्त प्रस्ताव पर मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27 सितम्बर, 2021 के अनुपालन में चयन वर्ष 2020-2021 में निरीक्षक पुलिस से पुलिस उपाधीक्षक प्रोन्नत कोटे में अनुपूरक डीपीसी कराये जाने हेतु विभागीय चयन समिति की दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को अपरान्ह 04.00 बजे उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, मुख्यालय, में सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या- 61/10/पी०/सेवा-1/2020-2021 दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

4—चयन वर्ष 2020-2021 में निरीक्षक पुलिस से पुलिस उपाधीक्षक प्रोन्नत कोटे में पुलिस उपाधीक्षक पद पर उपलब्ध 02 रिक्तियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 के क्रम में मा० आयोग की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक साधारण वेतनमान रु० 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु० 5,400 पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स लेवल-10, रु० 56,100-1,77,500) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदया एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

क्रम संख्या	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम
1	2	3
1	56	श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा
2	76	श्री उमेश कुमार पाण्डेय

प्रश्नगत चयन मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-ए-11409/2021 शैलेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा प्रकरण में यदि अन्य कोई याचिका लम्बित हो तो प्रश्नगत चयन उक्त याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

5—उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही एवं ई०ओ०डब्लू०/ए०सी०ओ०/सीबीसीआईडी/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6—पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनात का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रोन्नत कोटे में रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध है। प्रोन्नति कोटा में वास्तविक रूप से रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर ही प्रोन्नत आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा निर्गत किया जायेगा।

7—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति

31 दिसम्बर, 2021 ई०

सं० 7053/23-4-21-82 जनरल/2021—सहायक अभियन्ता (सिविल) की पदोन्नति श्रेणी की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के प्राविधानों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के माध्यम से कराये गये चयन के फलस्वरूप आयोग के पत्र संख्या 807/01/पी/एस-6/2021-22, दिनांक 02 नवम्बर, 2021 में प्राप्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित अवर अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक) को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-2 रु0 15,600—39,100, ग्रेड पे रु0 5,400 (पुनरीक्षित पे-बैण्ड-3 के लेवल-10) में नियमित रूप से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत द्वारा नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अवर अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल)

क्रम संख्या	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम
1	2	3
		सर्वश्री/श्रीमती—
1	4959	पवन कुमार
2	4961	राम लाल सिंह
3	4962	सुनील कुमार गुप्ता
4	4963	तेज बलि सिंह
5	4964	देवी चरन
6	4965	उदित भटनागर
7	4967	कुलदीप सिंह
8	4968	मो० अफसार अली
9	4969	विमल कुमार मिश्र
10	4970	राजेश कुमार द्विवेदी
11	4971	ईश्वर पाल
12	4973	हीरामणि
13	4975	अशोक कुमार बंसल
14	4976	संतोष कुमार दीक्षित
15	4977	विपिन कुमार

1	2	3
		सर्वश्री / श्रीमती–
16	4978	रामेन्द्र सिंह
17	4980	प्रयोश कुमार
18	4981	जय शंकर चौबे
19	4982	महफुजुर रहमान
20	4983	भीष्म दत्त शर्मा
21	4985	मनाज कुमार सैंगर

2–उक्त पदोन्नति आदेश प्रश्नगत चयन से सम्बन्धित यदि अन्य कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो तो यह चयन उक्त याचिका / विचाराधीन प्रत्यावेदन / विभागीय कार्यवाही मे पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3–अवर अभियन्ता (सिविल) की सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर उक्त पदोन्नति दिनाक 01 जनवरी 2022 से प्रभावी माने जायेंगे।

4–उक्त अभियन्तागण के तैनाती आदेश पृथक से जारी किये जायेंग।

आज्ञा से
दुर्गा सिंह
अनु सचिव।

सिचाई एवं जल ससाधन विभाग

अनुभाग-13

औपबधिक नियुक्ति

09 नवम्बर, 2021 ई0

स0 1642 / सत्ताईस-13-2021-49 / 21–लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिचाई एव जल ससाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु सस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री गौरव पुत्र श्री सग्राम का विवरण निम्नवत है–

क्र0	नाम / पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–						
58	गौरव / सग्राम	25-12-1995	29032	अम्बेडकर नगर	सग्राम, दुधौरा रामपुर मगुराडिला, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0 224227	सग्राम दुधौरा रामपुर मगुराडिला, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0 224227	

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनाक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु सस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिचाई एव जल ससाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वतन बेण्ड रू0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रू0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एव जल ससाधन विभाग, उ0प्र0 मे 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करत हैं–

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एव पूर्ववृत्त सत्यापित नही होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताय तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होन के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंग कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किय जायें। उक्त के साथ ही औपबधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त सस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ शासनादेश सख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनाक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एव स्वघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिचाई एव जल ससाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एव डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वय कराना सुनिश्चित करेंग तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एव डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपिया निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

(I) केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

(II) अभ्यर्थी द्वारा स्वय के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र।

स0 1543 / सत्ताइस-13-2021-49 / 21 लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियांत्रिकी सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री आकाश राय पुत्र श्री अरविन्द प्रताप राय का विवरण निम्नवत् है-

क्र0	नाम / पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–						
57	आकाश राय / अरविन्द प्रताप राय	04-05-1993	46247	गाजीपुर	आकाश राय 1758 शेरपुर खुर्द, शेरपुर कलाँ, गाजीपुर, उ0प्र0 233227	आकाश राय 1758 शेरपुर खुर्द शेरपुर कलाँ, गाजीपुर उ0प्र0 233227	

2–शासनादेश संख्या 04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड प रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 प 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-

पत्र / कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त सस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश सख्या 04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021 दिनाक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में सत्यापन-पत्र एव स्वघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिचाई एव जल ससाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एव डिग्रियों की आवश्यक जाच स्वय कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एव डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपिया निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वय के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एव स्वःघोषणा-पत्र।

स0 1544 सत्ताईस-13-2021-49 / 21–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियत्रण सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल, सिचाई एव जल ससाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु सस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सौरभ यादव पुत्र श्री धर्मेन्द्र यादव का विवरण निम्नवत है–

क्र0	नाम / पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमाक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सचेश्री–							
58	सौरभ यादव / धर्मेन्द्र यादव	12-03-1995	87781	अम्बेडकर नगर	धर्मेन्द्र यादव, ग्राम इमादपुर, पो0 अमोला, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0 224139	धर्मेन्द्र यादव ग्राम इमादपुर, पो0 अमोला, अम्बेडकर नगर, उ0प्र0 224139	

2–शासनादेश सख्या 04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021 दिनाक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु सस्तुत उपयुक्त अभ्यर्थी का सिचाई एव जल ससाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15600-39100 (ग्रेड पे रु0 5400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिचाई एव जल ससाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अभ्यर्थी की उक्त औपबधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एव पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबधिक एव अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एव अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल

समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सम्बन्धित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उसके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N O C) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1, 4/2011-का-4-2021 दिनांक 28 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र।

सं0 1545 सत्ताईस-13-2021-49/21–लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा (सामान्य/विशेष प्रयत्न) परीक्षा 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिंचाई) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शिवम कुमार पुत्र श्री राकेश कुमार का विवरण निम्नवत है–

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–						
59	शिवम कुमार/ राकेश कुमार	11-05-1998	40002	शाहजहांपुर	राकेश कुमार आई0 एफ0 85, डबल स्टोरी, फैक्टरी स्टेट, शाहजहांपुर, उ0प्र0 242001	राकेश कुमार आई0 एफ0 85, डबल स्टोरी, फैक्टरी स्टेट, शाहजहांपुर, उ0प्र0 242001	

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनाक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु सस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिचाई एव जल ससाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वतन बेण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एव जल ससाधन विभाग, उ0प्र0 मे 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करत हैं–

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एव पूर्ववृत्त सत्यापित नही होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताय तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होन के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भाति सुनिश्चित कर लेंग कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कही कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किय जायें। उक्त के साथ ही औपबधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त सस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ शासनादेश सख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनाक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एव स्वघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिचाई एव जल ससाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एव डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वय कराना सुनिश्चित करेंग तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एव डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपिया निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

(I) केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

(II) अभ्यर्थी द्वारा स्वय के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र।

स0 1548 / सत्ताइस-13-2021-49 / 21 लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियांत्रिकी सेवा (सामान्य / विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री शेली वर्मा पुत्री श्री बिंडला वर्मा का विवरण निम्नवत है -

क्र0	नाम / पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
60	सुश्री शेली वर्मा / बिंडला वर्मा	24-02-1995	49200	अयोध्या	शेली वर्मा C o बिंडला वर्मा, 28 रामगंज बेलवारी खान, अंकारीपुर, अयोध्या, उ0प्र0 224141	शेली वर्मा C o बिंडला वर्मा, 28 रामगंज बेलवारी खान, अंकारीपुर, अयोध्या, उ0प्र0 224141	

2—शासनादेश संख्या 04 / 2021 / 1 / 4 2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15600-39100 (ग्रेड पे रु0 5,400/- में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 के 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सबधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व मे अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जाये। उक्त के साथ ही औपबधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियो की आयोग द्वारा सशर्त सस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ शासनादेश सख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनाक 29 अप्रैल 2021 मे उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रो मे सत्यापन-पत्र एव स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिचाई एव जल ससाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एव डिग्रियो की आवश्यक जांच स्वय कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एव डिग्रियो की अभिप्रमाणित प्रतिलिपिया निम्नलिखित प्रमाण-पत्रो के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वय के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एव स्वःघोषणा-पत्र।

स0 1547/सत्ताईस-13-2021-49/21–लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिचाई एव जल संसाधन विभाग की सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु सस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री नितेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री आदेश गुप्ता का विवरण निम्नवत् है–

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–						
61	नितेश कुमार गुप्ता/आदेश गुप्ता	16-02-1993	88716	गोरखपुर	आदेश गुप्ता 136 माया बाजार रेती रोड रूपेश इलेक्ट्रानिक्स, गोरखपुर, उ0प्र0 273001	आदेश गुप्ता 136 माया बाजार रेती रोड रूपेश इलेक्ट्रानिक्स, गोरखपुर, उ0प्र0 273001	

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनाक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु सस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिचाई एव जल ससाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15600-39100 (ग्रेड पे रु0 5400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिचाई एव जल ससाधन विभाग उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व-सत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये, इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्व-घोषणा-पत्र।

सं0 1548/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल

संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शशांक शाही पुत्र श्री शिवाजी शाही का विवरण निम्नवत है–

क्र0	नाम / पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–						
62	शशांक शाही / शिवाजी शाही	12-07-1997	135881	कुशीनगर	शशांक शाही ग्राम अलसवा, पो0 लछिया, कुशीनगर, उ0प्र0 274401	शशांक शाही ग्राम अलसवा, पो0 लछिया, कुशीनगर, उ0प्र0 274401	

2–शासनादेश संख्या 04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्व सत्यापन या शपथ-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति / पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र / कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ

शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनाक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जाच स्वय करायेंगे सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वय के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र।

स0 1549, सत्ताईस-13-2021-49/21–लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियत्रण सेवा (सामान्य/विशेष वयन) परीक्षा 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अजित कुमार सिंह पुत्र श्री अनन्त कुमार सिंह का विवरण निम्नवत है–

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमाक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	अर्थश्री–						
62	अजित कुमार सिंह/अनन्त कुमार सिंह	08-04-1995	28167	गोरखपुर	अजित कुमार सिंह सी-130-216ए, गुलाली बाटिका, जेल रोड, शाहपुर गोरखपुर, उ0प्र0 273006	अजित कुमार सिंह सी-130-216ए, गुलाली बाटिका, जेल रोड, शाहपुर गोरखपुर उ0प्र0 273006	

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनाक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपयुक्त अभ्यर्थी को सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड प रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायं। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

(I) केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

(II) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण

(III) राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

(IV) अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1550/सत्ताईस-13-2021-49/21 लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री लवकान्त चौहान पुत्र श्री बिजेश चौहान का विवरण निम्नवत है :

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	सर्वश्री–						
63	लवकान्त चौहान/बिजेश चौहान	01-01-1996	58054	गौतमबुद्ध नगर	लवकान्त चौहान पुत्र बिजेश चौहान, हाउस नं0 109 छलरी स्ट्रीट नं0 2 गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 201301	लवकान्त चौहान पुत्र बिजेश चौहान, एचडी-148, से0-135 डूप्लेक्स जिला गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 201303	

2–शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपयुक्त अभ्यर्थी का सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किया जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) अभ्यर्थी का उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या शपथ-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के सबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जाय। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N O C) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 2021/1/4 2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे–

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वघोषणा-पत्र।

आज्ञा से
फूल चन्द्र,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–2 हिन्दी गजट भाग 1–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-एस०एस०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 9 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 19, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

14 मार्च, 2022 ई०

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

सं० 1445/आठ-वि०भू०अ०अ०(स०रा०) प्रयागराज—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलक्टर प्रयागराज की राय है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज को जनपद प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे के अन्तर्गत मुगलसराय—इलाहाबाद रेल सेक्शन (डी०एफ०सी०सी० रूट) के किमी 775/13-15 के ग्राम दिघिया के समीप मिर्जापुर-सिरसा मार्ग के मध्य रेल सम्पार संख्या 20-सी पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु जनपद प्रयागराज, तहसील मेजा, परगना खैरागढ़, ग्राम दिघिया की 0.7175 है० भूमि की आवश्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी निदेशक, गोविन्द बल्लभ पंत संस्थान, सामाजिकी वानिकी संघटक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार/कलक्टर, प्रयागराज को अपनी अनुशंसा दिनांक 10 जनवरी, 2022 को प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 11 मार्च, 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3—प्रयागराज शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवागमन की समस्या के समाधान हेतु जनपद प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे के अन्तर्गत मुगलसराय—इलाहाबाद रेल सेक्शन (डी०एफ०सी०सी० रूट) के किमी 775/13-15 के ग्राम दिघिया के समीप मिर्जापुर—सिरसा मार्ग के मध्य रेल सम्पार संख्या 20—सी पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण किया जाना जनहित के लिए सर्वोत्तम विकल्प है। भूमि का हस्तान्तरण अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज के पक्ष में किया जाना है। नियमानुसार अर्जन कार्यवाही की जाय।

4—भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5—अत राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं

अनुसूची

क्र0 स0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	प्रयागराज	मेजा	खैरागढ़	दिघिया	400	0.0126
2					400	0.0126
3					400	0.0126
4					400	0.0126
5					404	0.0972
6					406	0.0118
7					406	0.0118
8					459	0.0396
9					501	0.0019
10					501	0.0019
11					501	0.0019
12					501	0.0057
13					501	0.0057
14					500	0.0007
15					500	0.0007
16					500	0.0004
17					500	0.0004
18					502	0.0095
19					502	0.0050
20					502	0.0050
21					502	0.0073
22					502	0.0028
23					502	0.0012
24					502	0.0012
25					502	0.0012
26					502	0.0012
27					502	0.0012
28					504	0.0128
29					508-मि0	0.0090
30					508-मि0	0.0060
31					509-मि0	0.0100
32					509-मि0	0.0100
33					510-मि0	0.0265
34					510-मि0	0.0265

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
35	प्रयागराज	मेजा	खैरामढ़	दिघिया	510-मि0	0.0265
36					510-मि0	0.0265
37					512-मि0	0.0055
38					513-मि0	0.0730
39					514-मि0	0.0110
40					514-मि0	0.0110
41					514-मि0	0.0110
42					514-मि0	0.0110
43					515-मि0	0.0056
44					515-मि0	0.0056
45					515-मि0	0.0056
46					515-मि0	0.0056
47					515-मि0	0.0011
48					515-मि0	0.0011
49					515-मि0	0.0011
50					515-मि0	0.0011
51					515-मि0	0.0011
52					516-मि0	0.0061
53					516-मि0	0.0061
54					516-मि0	0.0061
55					516-मि0	0.0061
56					516-मि0	0.0061
57					516-मि0	0.0061
58					516-मि0	0.0245
59					516-मि0	0.0245
60					901	0.00425
61					510	0.0095
62					510	0.0095

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
63	प्रयागराज	मेजा	खैरागढ़	दिघिया	502-मि0	0.0080
64					505-मि0	0.0055
65					517-मि0	0.0142
66					517-मि0	0.0080
67					517-मि0	0.0012
					कुल योग. .	0.7175

6—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण किसी भूमि के लिए समतलीकरण खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाये करने के लिए राज्यपाल कलक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं

7—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

किसी भी भू-स्वामी को यदि मौखिक अथवा सुनवाई का अवसर चाहत हो तो वे किसी भी कार्य दिवस में विज्ञप्ति प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकत है।

8—अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार तथा विक्रय/ क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, प्रयागराज स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची "क"

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	प्रयागराज	मेजा	खैरागढ़	दिघिया	400	0.0126
2					400	0.0126
3					400	0.0126
4					400	0.0126
5					404	0.0972
6					406	0.0118
7					408	0.0118
8					459	0.0396
9					501	0.0019

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
10	प्रयागराज	मेजा	खैरामढ़	दिघिया	501	0.0019
11					501	0.0019
12					501	0.0057
13					501	0.0057
14					500	0.0007
15					500	0.0007
16					500	0.0004
17					500	0.0004
18					502	0.0095
19					502	0.0050
20					502	0.0060
21					502	0.0073
22					502	0.0026
23					502	0.0012
24					502	0.0012
25					502	0.0012
26					502	0.0012
27					502	0.0012
28					504	0.0128
29					508-मि0	0.0090
30					508-मि0	0.0090
31					509-मि0	0.0100
32					509-मि0	0.0100
33					510-मि0	0.0265
34					510-मि0	0.0265
35					510-मि0	0.0265
36					510-मि0	0.0265
37					512-मि0	0.0056
38					513-मि0	0.0730
39					514-मि0	0.0110
40					514-मि0	0.0110
41					514-मि0	0.0110
42					514-मि0	0.0110
43					515-मि0	0.0056
44					515-मि0	0.0056
45					515-मि0	0.0056

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
46	प्रयागराज	मेजा	खैरागढ़	दिघिया	515-मि0	0.0056
47					515-मि0	0.0011
48					515-मि0	0.0011
49					515-मि0	0.0011
50					515-मि0	0.0011
51					515-मि0	0.0011
52					516-मि0	0.0061
53					516-मि0	0.0061
54					516-मि0	0.0061
55					516-मि0	0.0061
56					516-मि0	0.0061
57					516-मि0	0.0061
58					516-मि0	0.0245
59					516-मि0	0.0245
60					501	0.00425
61					510	0.00950
62					510	0.00950
63					502-मि0	0.00600
64					505-मि0	0.00550
65					517-मि0	0.01420
66					517-मि0	0.00900
67					517-मि0	0.00120
					कुल योग. .	0.7175

अनुसूची "ख"

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	प्रयागराज	मेजा	खैरागढ़	शून्य	शून्य	शून्य

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

NOTIFICATION

March 14, 2022

No. 1445/VIII-S.L.A.O./(J.0)Prayagraj–Under sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government Executive Engineers, P. D. P.W.D., Prayagraj) is satisfied that Total of 0.7175 Hectares of land is required in the Tehsil-Meja Village Dighiya Area 0.7175 Ha. District Prayagraj is required for public purpose, namely Northern Central Railway (Mughalsarai-Allahabad Section) on D.F.C. route ROB No.-20C

2 Social Impact Assessment Study was carried out by the State social Impact Assessment Agency Director Govind Ballabh Pant Institute, Jhusi, Prayagraj and it has submitted its recommendations to Uttar Pradesh Letter Dated: 10 January, 2022 As Approved as date 11-03-2022

3 The Summary of Social impact Assessment Report is as follows:

(a) Prima-facia the committee felt that the proposed project is very much serving public purpose as the construction of Northern Central Railway (Mughalsarai-Allahabad Section) on D.F.C. Route ROB No.-20C not only integrate the region geographically but also play an instrumental role for the socio-economic growth of the region.

(b) "In an initial interaction with the land loosers, the committee noted that most of the stakeholders are willing to sell their land provided they get adequate compensation for their land lost, moreover, the villagers also agreed that the Northern Central Railway (Mughalsarai-Allahabad Section) on D.F.C. Route ROB No.-20C will prove beneficial for the socio-economic development of the region."

4 No Family are likely to be displaced due to the land acquisition for this project.

5 Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectare
1	Prayagraj	Meja	Khairagrah	Dighiya	400	0.0126
2					400	0.0126
3					400	0.0126
4					400	0.0126
5					404	0.0972
6					406	0.0118
7					406	0.0118
8					459	0.0396

1	2	3	4	5	6	7
						Hectare
9	Prayagraj	Meja	Kharagrah	Dighiya	501	0.0019
10					501	0.0019
11					501	0.0019
12					501	0.0057
13					501	0.0057
14					500	0.0007
15					500	0.0007
16					500	0.0004
17					500	0.0004
18					502	0.0095
19					502	0.0050
20					502	0.0050
21					502	0.0073
22					502	0.0026
23					502	0.0012
24					502	0.0012
25					502	0.0012
26					502	0.0012
27					502	0.0012
28					504	0.0128
29					508-M	0.0090
30					508-M	0.0090
31					509-M	0.0100
32					509-M	0.0100
33					510-M	0.0265
34					510-M	0.0265
35					510-M	0.0265
36					510-M	0.0265
37					512-M	0.0055
38					513-M	0.0730
39					514-M	0.0110
40					514-M	0.0110
41					514-M	0.0110
42					514-M	0.0110
43					515-M	0.0056

1	2	3	4	5	6	7
						Hectare
44					515-M	0.0056
45					515-M	0 0056
46					515-M	0 0056
47					515-M	0 0011
48					515-M	0.0011
49					515-M	0 0011
50					515-M	0 0011
51					515-M	0 0011
52					516-M	0.0061
53					516-M	0.0061
54					516-M	0 0061
55					516-M	0 0061
56					516-M	0 0061
57					516-M	0 0061
58					516-M	0 0245
59					516-M	0 0245
60					501	0.00425
61					510	0.00950
62					510	0.00950
63					502-M	0 00600
64					505-M	0.00550
65					517-M	0.01420
66					517-M	0.00900
67					517-M	0.00120
					Total. .	**0.7175**

6. The Governor is also pleased to authorised the Collector for the purpose of the and acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land Take levels of any land, dig or sub-soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under Section 12 of the Act.

7. Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may with n (days) 60 after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector-Prayagraj

8. Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i e* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector-Prayagraj

NOTE–A p ns of land may be inspected in the Office of the Collector Prayagraj for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector Prayagraj

14 मार्च 2022 ई0

भूमि अजन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

स0 1446 / आठ-वि0मू0अ0अ0(स0स0) / प्रयागराज–भूमि अजन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर प्रयागराज की राय है कि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग प्रयागराज का जनपद प्रयागराज में इलाहाबाद-बामपुर मार्ग पर सम्पार स0 17-सी पर उत्तर मध्य रेलवे के मुगलसराय-इलाहाबाद सेक्शन के डी0एफ0सी0सी0 मार्ग पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण हेतु जनपद प्रयागराज तहसील मेजा परगना माण्डा ग्राम सरवनपुर बादपुर उपरहार एव चकडीहा की 0.4633 ह0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समघात निर्धारण एजेन्सी निदेशक गोविन्द बल्लभ पत सस्थान सामाजिकी वानिकी सघटक इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद द्वारा सामाजिक समघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार / कलक्टर प्रयागराज को अपनी अनुशसा दिनाक 10 जनवरी 2022 को प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 11 मार्च 2022 को अनुमोदित किया गया है।

3–प्रयागराज शहर की बढ़ती हुई जनसख्या की आवागमन की समस्या के समाधान हेतु जनपद प्रयागराज में इलाहाबाद-बामपुर मार्ग पर सम्पार स0 17-सी पर उत्तर मध्य रेलवे के मुगलसराय–इलाहाबाद सेक्शन के डी0एफ0सी0सी0 मार्ग पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण किया जाना जनहित के लिए सर्वोत्तम विकल्प है। भूमि का हस्तान्तरण अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग प्रयागराज के पक्ष में किया जाना है। नियमानुसार अर्जन कार्यवाही की जाय।

4–भूमि अजन के कारण कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

5–अत राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची मे उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	प्रयागराज	मेजा	माण्डा	सरवनपुर	70	0.0246
2					70	0.0247
3					70	0.0247
					ग्राम-सरवनपुर का योग. .	0.0740
4				बादपुर उपरहार (मानपुर)	917	0.0070
5					917	0.0014
6					917	0.0014
7					917	0.0014

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
8	प्रयागराज	मेजा	माण्डा	बादपुर उपरहार (मानपुर)	917	0.0014
9					917	0.0014
10					911	0.0030
11					911	0.0020
12					911	0.0020
13					911	0.0020
14					911	0.0020
15					911	0.0020
16					911	0.0020
17					916	0.0140
18					915	0.0020
19					915	0.0020
20					915	0.0020
21					915	0.0020
22					913	0.0015
23					913	0.0015
24					913	0.0015
25					913	0.0015
26				बादपुर उपरहार (परवा)	912	0.0060
27				बादपुर उपरहार (बादपुर)	909	0.0110
28					929	0.0150
29					930	0.0050
30					930	0.0050
31					931	0.0200
32				बजटा टप्पा 98 कतित मिर्जापुर	938	0.0090
33				बादपुर उपरहार (सरवनपुर)	939	0.0020
34					939	0.0030
35				बजटा टप्पा 96 कतित मिर्जापुर	940	0.0090

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
36	प्रयागराज	मजा	माण्डा	बादपुर उपरहार (मानपुर)	942(ख)	0.0540
37					914	0.00125
38					914	0.00125
39					914	0.00125
40					914	0.00125
41				बादपुर उपरहार (बादपुर)	942(क)	0.0200
42					942(क)	0.0200
43					942(क)	0.0200
44					942(क)	0.0200
45					942(क)	0.0200
46					942(क)	0.0200
47					942(क)	0.0200
48					942(क)	0.0200
49					942(क)	0.0200
50					942(क)	0.0200
51					942(क)	0.0200
					ग्राम--बादपुर ऊपरहार का योग. .	0.2121
52				चकडीहा (कुखुडी)	83	0.0006
53				चकडीहा	84	0.0455
54					84	0.0455
55					156	0.0162
56					137 मि0	0.0460
57					93	0.0110
58					94	0.0120
					ग्राम--चकडीहा का योग. .	0.1770
					कुल योग. .	0.4633

6--अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एव प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि क सर्वेक्षण किसी भूमि क लिए समतलीकरण खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं

7 अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि मे निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

किसी भी भू-स्वामी को यदि मौखिक अथवा सुनवाई का अवसर चाहत हो तो वे किसी भी कार्य दिवस में विज्ञप्ति प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

8—अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना मे निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, प्रयागराज स्थित कार्यालय मे देखा जा सकता है।

अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची "क"

क्र0 स0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	प्रयागराज	मेजा	मान्धा	सरवनपुर	70	0.0246
2					70	0.0247
3					70	0.0247
				ग्राम-सरवनपुर का योग. .		**0.0740**
4				बादपुर उपरहार (मानपुर)	917	0.0070
5					917	0.0014
6					917	0.0014
7					917	0.0014
8					917	0.0014
9					917	0.0014
10				बादपुर उपरहार (बामपुर)	911	0.0030
11					911	0.0020
12					911	0.0020
13					911	0.0020
14					911	0.0020
15					911	0.0020

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
16	प्रयागराज	मेजा	माण्डा	बादपुर उपरहार (बामपुर)	911	0.0020
17				बादपुर उपरहार (मान्नपुर)	916	0.0140
18					915	0.0020
19					915	0.0020
20					915	0.0020
21					915	0.0020
22					913	0.0015
23					913	0.0015
24					913	0.0015
25					913	0.0015
26				बादपुर उपरहार (परवा)	912	0.0060
27				बादपुर उपरहार (बादपुर)	909	0.0110
28					929	0.0150
29					930	0.0050
30					930	0.0050
31					931	0.0200
32				बजटा टप्पा 98 कंतित मिर्जापुर	938	0.0090
33				बादपुर उपरहार (सरवनपुर)	939	0.0020
34					939	0.0030
35				बजटा टप्पा 98 कंतित मिर्जापुर	940	0.0090
36				बादपुर उपरहार (मान्नपुर)	942(ख)	0.0540
37					914	0.00125
38					914	0.00125
39					914	0.00125
40					914	0.00125
41				बादपुर उपरहार (बादपुर)	942(क)	0.0200
42					942(क)	0.0200
43					942(क)	0.0200

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
44	प्रयागराज	मेजा	माण्डा	बादपुर उपरहार (बादपुर)	942(क)	0.0200
45					942(क)	0.0200
46					942(क)	0.0200
47					942(क)	0.0200
48					942(क)	0.0200
49					942(क)	0.0200
50					942(क)	0.0200
51					942(क)	0.0200
					ग्राम–बादपुर ऊपरहार का योग. .	0.2121
52				चकडीहा (कुचुडी)	83	0.0008
53				चकडीहा	84	0.0455
54					84	0.0455
55					156	0.0162
56					137 मि0	0.0460
57					93	0.0110
58					94	0.0120
					ग्राम–चकडीहा का योग. .	0.1770
					कुल योग. .	0.4633

अनुसूची "ख"

क्र0 स0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	प्रयागराज	मेजा	माण्डा	शून्य	शून्य	शून्य

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, प्रयागराज।

NOTIFICATION

March 14, 2022

No. 1446/VIII-S.L.A.O./(J.0)Prayagraj–Under sub-section (1) of Section 1 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government Executive Engineer P D P W D Prayagraj) is satisfied that Total of 0 4633 Hectares of land is required in the Tehsil-Meja Village Sarwanpur, Badpur Uparhar & Chakdaha Area 0 4633 Ha. District Pravagraj is required for public purpose, namely R O B in Lieu of Level Crossing No 17-C at Km. 768/19-21 on Mughal Sarai - Allahabad Rail Section At Allahabad - Bampur Road in Distt. Prayagraj.

2 Social Impact Assessment Study was carried out by the State social Impact Assessment Agency Director Govind Ballabh Pant Institute, Jhusi, Prayagraj and it has submitted its recommendations to Uttar Pradesh Letter Dated 10 January, 2022 As Approved date 11-03-2022

3 The Summary of Social impact Assessment Report is as follows

(a) Prima-facie the committee felt that the proposed project is very much serving public purpose as the construction of R O B in Lieu of Level Crossing No 17-C at Km 768.19-21 on Mughal Sarai - Allahabad Rail Section At Allahabad - Bampur Road in Distt Prayagraj, not only integrate the region geographically but also play an instrumental role for the socio-economic growth of the region.

(b) "In an initial interaction with the land loosers, the committee noted that most of the stakeholders are willing to sell their land provided they get adequate compensation for their land lost moreover the villagers also agreed that the R O B in Lieu of Level Crossing No 17-C at Km. 768.19-21 on Mughal Sarai - Allahabad Rail Section At Allahabad - Bampur Road in Distt Prayagraj will prove beneficial for the socio-economic development of the region."

4 No family are likely to be displaced due to the land acquisition for this project

5 Therefore The Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl No	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectare
1	Prayagraj	Meza	Manda	Sarwanpur	70	0 0246
2					70	0 0247
3					70	0.0247
				Village Sarwanpur Total. .		**0.0740**
4				Badpur Uparhar (Manpur)	917	0 0070
5					917	0.0014
6					917	0.00 4
7					917	0.0014
8					917	0 0014
9					917	0.0014
10				Badpur Uparhar (Bampur)	911	0.0030
11					911	0 0020
12					911	0 0020
13					911	0 0020
14					911	0.0020
15					911	0.0020
16					911	0 0070

1	2	3	4	5	6	7
						Hectare
17	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Manpur)	916	0.0140
18					915	0.0020
19					915	0.0020
20					915	0.0020
21					915	0.0020
22					913	0.0015
23					913	0.0015
24					913	0.00.5
25					913	0.00 5
26				Badpur Uparhar (Parwa)	912	0.0060
27				Badpur Uparhar (Badpur)	909	0.0110
28					929	0.0150
29					930	0.0050
30					930	0.0050
31					931	0.0200
32				" Bajta Tappa 96 Kantit Mirzapur	938	0.0090
33				Badpur Uparhar (Sarwanpur)	939	0.0020
34					939	0.0030
35				" Bajta Tappa 96 Kantit Mirzapur	940	0.0090
36				Badpur Uparhar (Manpur)	942 (Kha)	0.0540
37					914	0.00.25
38					914	0.00.25
39					914	0.00125
40					914	0.00125
41				Badpur Uparhar (Badpur)	942 (Ka)	0.0200
42					942 (Ka)	0.0200
43					942 (Ka)	0.0200
44					942 (Ka)	0.0200
45					942 (Ka)	0.0200
46					942 (Ka)	0.0200
47					942 (Ka)	0.0200

1	2	3	4	5	6	7
						Hectare
48	Prayagraj	Meza	Manda	Badpur Uparhar (Badpur)	942 (Ka)	0.0200
49					942 (Ka)	0.0200
50					942 (Ka)	0.0200
51					942 (Ka)	0.0200
					Village Badpur Uparhar Total..	**0.2121**
52				Chakdiha (Kukudi)	83	0.0008
53				Chakdiha	84	0.0455
54				Chakdiha	84	0.0455
55					156	0.0162
56					137 Mi.	0.0460
57					93	0.0110
58					94	0.0120
					Village Chakdiha Total..	**0.1770**
					Grand Total..	**0.4633**

6. The Governor is also pleased to authorised the Collector for the purpose of land the acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, Take levels of any land, dig or sub-soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under Section 12 of the Act.

7. Under Section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) 60 after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector Prayagraj.

8. Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector Prayagraj.

NOTE–A plan of land may be inspected in the Officer of the Collector Prayagraj for the purpose of acquisition.

(*Sd*) ILLEGIBLE.

Collector, Prayagraj

01 अप्रैल, 2022 ई०

सं० 9482/अ०जि०भू०अ०/आगरा--भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश/कलक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि 43वीं वाहिनी पीएसी एटा के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र, जनपद एटा, तहसील एटा, परगना एटा सकीट ग्राम ररपट्टी में कुल 0.232 हे० भूमि की आवश्यकता है।

2--राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित द्वारा .... दिनांक 30 मई, 2019 को अनुमोदित किया गया है।

3--सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है--

(i) 43वीं वाहिनी पी०ए०सी० प्रशिक्षण केन्द्र एटा के लिये भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(ii) इस परियोजना के निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4--भूमि अर्जन के कारण कुल .... × .... परिवार के विस्थापित होने की संभावना है एक विस्थापन के लिये अपरिहार्य निम्नवत् है--

.... ×

.... × ....

.... × ....

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर ..... × ..... को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5--अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं

अनुसूची

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Rarpatti	987	0.232

6--अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निदेश देते हैं

7--अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8--अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी: उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह० (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, आगरा।

NOTIFICATION

April 01, 2022

No. 9482/अ०जि०मु०अ० / आगरा—Under sub-section (1) of Section 11 of the Right Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that Total of 0.232 hectares of land is required in the Village-Rarpatti, Pargana-Etah Sakeet, Tehsil-Etah, District-Etah is required for public purpose, namely, Project 43th Vahini PAC Prashikshan Kendra, Etah.

1. Social Impact Assessment Study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submitted its recommendations to the Appropriate Government which as approved its recommendation on dated 30-05-2019.

2. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows

(i) Land is acquired for public purpose namely Project 43th Vahini PAC Etah

(ii) There is no any other entry effect construction of this Project.

3. A total of ---------x------ family are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is as under :

Deputy Collector/Assistant Collector x is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected familes.

4. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Rarpatti	987	0.232

5. The Governor is also pleased to authorised the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enterupon and survey of land, Take levels of any land, dig or sub-soil into the sub-soil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under Section 12 of the Act.

6. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within (days) 60 after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

7. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE—A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Agra.

पी०एस०यू०पी०—2 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2022 ई०।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्ट्री नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्लू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिना प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 9 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 19, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर

31 दिसम्बर, 2021 ई०

सं0 806/न0प0बु0/2021-22—इस कार्यालय के पत्रांक 19/न0प0बु0/2018-19 दिनांक 08 जनवरी, 2019 के द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1916 (2) की धारा 298 (2) सूची-I एच0एफ0 के अधीन नगर पंचायत, बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर ने अपनी सीमा के अन्तर्गत विज्ञापन सम्बन्धी उपनियम बनाये जाने के पश्चात् उनका प्रकाशन समाचार-पत्र अमर उजाला व हिन्दुस्तान, मेरठ के अंक दिनांक 10 जनवरी, 2019 को उपनियमों के सम्बन्ध में आपत्ति एवं सुझाव प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर आमन्त्रित किये जाने के उद्देश्य से कराया गया था, नियत अवधि में दो आपत्तियाँ प्राप्त होने पर इस निकाय की बोर्ड बैठक दिनांक 04 जून, 2019 के एजेण्डा संख्या 5 के द्वारा नियमावली में संशोधन कर पुनः समाचार-पत्र 'हिन्दुस्तान' व 'पश्चिम ज्योति' के अंक दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 142 के अधीन प्रकाशन कराकर धारा 143 के अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित करायी गई थी। नियत अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव नगर पंचायत कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। उक्त उपविधि/विनियमावली नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 की उपधारा (2) के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

विज्ञापन विनियमन व नियंत्रण उपविधि, 2020

1—यह उपविधि विज्ञापन विनियमन व नियन्त्रण उपविधि, 2020 कहलायेगी।

2—परिभाषायें—

(क) 'विज्ञापन' का तात्पर्य किसी भी प्रकार के प्रकाशन/सूचना/विज्ञप्ति से है। जिसका उपयोग प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से किया गया हो, जिसके अन्तर्गत दीवार पर लिखना, पोस्टर, बैनर, बिल, होर्डिंग, ग्लोसाइन, कन्टीलीवर, एलपोल, यूनीपोल, गुब्बारा पर लिखकर प्रकाशन या पोस्टर इत्यादि चिपकाकर उपयोग किया गया हो, जिसे आमजन के द्वारा देखा या पढ़ा जा सके।

(ख) 'भवन' का तात्पर्य किसी भी प्रकार के बने ढाँचे से है, जो किसी भी मैटिरियल से बना हो जिसकी बाहरी दीवार और चार दीवारी हो अथवा किसी अन्य भाग से है।

(ग) 'सक्षम अधिकारी' का आशय अधिशासी अधिकारी/लाइसेन्स अधिकारी से होगा।

3—कोई भी व्यक्ति/संस्था/एजन्सी नगर पंचायत बुढ़ाना की सीमा के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर बिना किसी भवन/ढाँचे पर विज्ञापन उद्देश्य से किसी भी प्रकार की सूचना, पम्फलेट, बिल, पोस्टर, होर्डिंग तथा किसी अन्य

प्रकार के विज्ञापन प्रचार माध्यम (अधिशासी अधिकारी/लाईसेंसिंग अधिकारी) की बिना अनुमति के नहीं लगायेगा/प्रचार-प्रसार करेगा।

4—किसी भी प्रकार के ऐसे विज्ञापन जो सामाजिक रूप से अश्लील, अभद्र, आपत्तिजनक अथवा किसी व्यक्ति/समूह की भावना को ठेस पहुँचाने वाले हों पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।

5—किसी भी ऐसे स्थान (राष्ट्रीय मार्ग की पटरी, नगर के मुख्य चौराहे) पर जिससे आवागमन/यातायात में बाधा या जन असुविधा उत्पन्न हो तथा मा0 उच्चतम न्यायालय/अन्य समस्त अधिकारिता सम्पन्न न्यायालय या शासनादेशों के द्वारा प्रतिबन्धित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन बोर्ड या दीवार पर लिखना, पोस्टर हैण्डबिल इत्यादि विज्ञापन के प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।

6—किसी भी प्रकार के विज्ञापन हेतु स्थल का उल्लेख आवेदक, व्यक्ति/संस्था एजेन्सी के लिखित रूप से दो प्रतियों में पंचायत का निर्धारित प्रोफार्मा आवेदन-पत्र मय साईट की फोटो सहित देना अनिवार्य होगा। जिस पर स्थल एवं मापा सम्बन्धी विभागीय जाँच रिपोर्ट पर सन्तुष्ट होने की दशा में अधिशासी अधिकारी/लाईसेंसिंग अधिकारी के द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी तथा मा0 अध्यक्ष, प्रशासक नगर पंचायत बुढ़ाना के अनुमोदन उपरान्त ही अनुमति सम्बन्धी कार्य आदेश सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संस्था/विज्ञापनदाता/विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी को निर्गत किया जायेगा, कार्य आदेश के उपरान्त ही चयनित स्थलों पर विज्ञापन पट यथा होर्डिंग, कैन्टीलीवर, एलपोल, यूनीपोल, आई0एच0पी0 क्योस्क इत्यादि लगाये जायेंगे, विज्ञापन पटों आदि की अनुमति की निश्चित अवधि मात्र एक वर्ष तक ही अनुमन्य होगी।

7—अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि जनहित में आवश्यकता समझें तो अनुमति दे या न दें अथवा कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रतिबन्ध सहित अनुमति प्रदान करें।

8—किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में प्रभावित पक्ष सात दिवस के भीतर अपनी अपील याचिका अध्यक्ष/प्रशासक नगर पंचायत बुढ़ाना के समक्ष रखने/दायर करने का अधिकार होगा। समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष/प्रशासक नगर नगर पंचायत बुढ़ाना के द्वारा 90 दिन के भीतर निर्णय अन्तिम रूप से प्रभावी होगा।

9—कोई भी विज्ञापनकर्ता/व्यक्ति/संस्था, विज्ञापन एजेन्सी नगर पंचायत बुढ़ाना में अपनी फर्म/संस्था/एजेन्सी का पंजीकरण कराने हेतु नगर पंचायत से निर्धारित प्रोफार्मा क्रय करने हेतु एक साधारण आवेदन-पत्र मय अपना आधार कार्ड, पहचान-पत्र, आयकर पैन कार्ड, राष्ट्रीय बैंक पास बुक की सत्यापित प्रति व जी0एस0टी0 नम्बर सहित कार्ड की सत्यापित प्रति संलग्न करके प्रस्तुत करेगा तथा जिसके पास पंजीकरण के निर्धारित प्रोफार्मा को निर्धारित शुल्क अंकन रु0 1,000.00 नगर पंचायत कोष में जमा कराकर क्रय प्राप्त करेगा तथा उसको भरकर नगर पंचायत में प्रस्तुत करेगा। इसके उपरान्त ही नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

10—पंजीकृत विज्ञापनकर्ता, व्यक्ति/संस्था/विज्ञापन एजेन्सी को आगामी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन प्रचार-प्रसार कराने हेतु अपनी फर्म/संस्था/विज्ञापन एजेन्सी इत्यादि का नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा, इसके उपरान्त ही आगामी वित्तीय वर्ष हेतु विज्ञापन प्रचार-प्रसार हेतु नियमानुसार इस उपविधि, 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही अनुमति/स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अपनी फर्म, संस्था, विज्ञापन एजेन्सी इत्यादि का नवीनीकरण कराने हेतु निर्धारित शुल्क अंकन रु0 1,000.00 नगर पंचायत कोष में जमा कराने होंगे। इसके उपरान्त ही पंजीकरण/नवीनीकरण का प्रोफार्मा क्रय/प्राप्त करने उपरान्त भरकर आवश्यक अभिलेखों सहित प्रस्तुत करना होगा। जिस पर उस फर्म/संस्था/विज्ञापन एजेन्सी इत्यादि का नियमानुसार नवीनीकरण किये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

11—नगर पंचायत द्वारा पंजीकृत/नवीनीकरण व्यक्ति/विज्ञापनकर्ता/फर्म, संस्था/विज्ञापन एजेन्सी को किसी भी वित्तीय वर्ष हेतु विज्ञापन बोर्डों इत्यादि की अनुमति/स्वीकृति हेतु नगर पंचायत द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा को निर्धारित शुल्क अंकन रु0 500.00 पालिका कोष में जमा करके क्रय, प्राप्त करेगा तथा उसको भरकर जिन स्थलों इत्यादि पर विज्ञापन बोर्ड आदि लगाकर विज्ञापन प्रचार-प्रसार करना हो, उसकी साईट फोटो इत्यादि आवश्यक अभिलेखों सहित नगर पंचायत में प्रस्तुत करेगा। इसके उपरान्त ही नियमानुसार विज्ञापन बोर्डों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति/स्वीकृति दी जायेगी।

12—नगर पंचायत द्वारा जिस व्यक्ति, विज्ञापनकर्ता/फर्म/संस्था/विज्ञापन एजेन्सी की नियमानुसार पंजीकरण की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जायेगी उस व्यक्ति/विज्ञापनकर्ता/फर्म/संस्था, विज्ञापन एजेन्सी के द्वारा पंजीकरण हेतु अंकन रु0 10,000.00 नगर पंचायत कोष में जमा कराने होंगे तथा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अपनी फर्म/संस्था/विज्ञापन एजेन्सी आदि की नियमानुसार नवीनीकरण की अनुमति/स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उसको नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क अंकन रु0 5,000.00 नगर पंचायत कोष में जमा कराने होंगे।

13—नगर पंचायत से नियमानुसार पंजीकरण या नवीनीकरण कराने के उपरान्त अधिकृत व्यक्ति/विज्ञापनकर्ता/विज्ञापनदाता/फर्म/संस्था/विज्ञापन एजेन्सी जिन स्थलों पर विज्ञापन बोर्ड इत्यादि लगाने की नगर पंचायत से अनुमति/स्वीकृति चाहेंगे तो नगर पंचायत से प्राप्त निर्धारित प्रोफार्मा को भरकर आवश्यक अभिलेखों सहित

स्थलों की सूची साईट फोटो सहित इस उपविधि की धारा 6 में इंगित निर्देशान्तर्गत निर्धारित दो प्रतियों में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिस पर नियमानुसार नगर पंचायत द्वारा अनुमति/स्वीकृति दी जा सकती है।

14–नगर पंचायत बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर सीमान्तर्गत विज्ञापन प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन विनियम व नियन्त्रण उपविधि, 2020 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकार से दरें प्रभावी होगी जिसके अनुसार ही पंजीकृत/नवीनीकृत विज्ञापनकर्ता/फर्म/संस्था/विज्ञापन एजेन्सी आदि को निम्नवत विज्ञापनों की बाबत निर्धारित विज्ञापन शुल्क का भुगतान नगर पंचायत कोष में करना अनिवार्य होगा जो निम्नवत होगी :

(क)	दीवार पर लिखना	12.00 रुपये प्रति वर्ग फुट	वार्षिक
(ख)	पोस्टर लगाना, बैनर आदि अधिकतम साइज (20"×30")	05.00 रुपये प्रति वर्ग फुट	प्रतिमाह
(ग)	लोहे के टिन (होर्डिंग/आई.एच.पी./ग्लोसाइन आदि) के विज्ञापन बोर्ड	50.00 रुपये प्रति वर्ग फुट	वार्षिक
(घ)	प्राइवेट भवनों/मार्किटों की छतों पर	50.00 रुपये प्रति वर्ग फुट	वार्षिक
(ङ)	यूनीपोल/कैन्टीलीवर/एल0पोल	12.50 रुपये प्रति वर्ग फुट	प्रतिमाह
		150.00 रुपये प्रति वर्ग फुट	वार्षिक
(च)	विद्युत नियन्त्रित/चालित ग्लोसाइन एल0ई0डी0 आदि	250.00 रुपये प्रति वर्ग फुट	प्रतिमाह
(छ)	नगर पंचायत बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर सीमान्तर्गत लगाये गये धार्मिक, राजनैतिक विज्ञापन पटलों पर भी अन्य व्यवसायिक विज्ञापन पटों की दर लागू रहेगी।	05.00 रुपये प्रति वर्गफुट 50.00 रुपये प्रति वर्गफुट	प्रतिमाह वार्षिक
(ज)	गुब्बारों पर प्रदर्शित विज्ञापन	800.00 रुपये प्रतिदिन	
(झ)	छतरी/कनोपी पर प्रदर्शित विज्ञापन	800.00 रुपये प्रतिदिन	
(ञ)	गन्ट्री पर प्रदर्शित विज्ञापन	100.00 रुपये प्रति वर्गफुट	प्रतिमाह
(ट)	ऑटो चालित वाहनों पर प्रदर्शित विज्ञापन	200.00 रुपये प्रति वर्गफुट	प्रतिमाह

15–किसी भी प्रकार के विज्ञापन बोर्ड यदि प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान, भू-कम्प आदि से टूटकर किसी भवन, ढाँचा अथवा यातायात आवागमन में किसी व्यक्ति, पशु के जानमाल इत्यादि की क्षति होती है तो सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता/फर्म/व्यक्ति/संस्था विज्ञापन एजेन्सी ही हर्जा खर्चा व कानूनी तौर पर कार्यवाही हेतु जिम्मेदार रहेगी। नगर पंचायत बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगी।

16–नगर पंचायत बुढ़ाना की सीमान्तर्गत महावीर तिराहा, कुरैशी वाली पुलिया, चौ0 चरण सिंह तिराहा, दयानन्द चौक, भारत टाकीज चौक इत्यादि प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर सड़क के दोनों ओर परीक्षण/निरीक्षण उपरान्त ही मान्य होने की स्थिति में ही विज्ञापन पटट की अनुमति प्रदान की जायगी।

17–किसी भी पंजीकृत व्यक्ति/फर्म/संस्था/विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी को प्राइवेट भवनों/मार्किटों की छतों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने की अनुमति भवन/मार्किट स्वामी के साथ सम्बन्धित पंजीकृत विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी/फर्म/संस्था द्वारा किये गये अनुबन्ध की प्रमाणित कापी तथा सहमति-पत्र भी निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना होगा। इसके उपरान्त ही अधिशासी अधिकारी/लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायगी।

18–विज्ञापन वैध स्वीकृति/अनुमति की समाप्ति के पश्चात अथवा बिना वैध स्वीकृति/अनुमति के स्थापित किया गया विज्ञापन बोर्ड, पोस्टर, बैनर हटाकर विज्ञापन सामग्री को जब्त करने का अधिकार नगर पंचायत बुढ़ाना में निहित होगा तथा हटाने का हर्जा, खर्चा वसूल करने का अधिकार भी सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी/फर्म/संस्था से होगा तो हटाने की तिथि से एक माह के बाद नीलाम करने का अधिकार नगर पंचायत बुढ़ाना में निहित होगा साथ ही वित्तीय वर्ष समाप्ति पर अगले वित्तीय वर्ष में विलम्बतम 15 दिन के अन्दर पुनः अनुमति प्राप्त करनी होगी।

19–निम्नांकित प्रकार के विज्ञापनों पर इस उपविधि (नियमावली) के नियम प्रभावी नहीं होंगे :

(क) केन्द्रीय/राज्य सरकार विभागीय विज्ञापन बोर्ड, बैनर, पोस्टर आदि।

(ख) किसी व्यवसायी द्वारा अपनी दुकान/भवन पर अपने निजी व्यवसाय से सम्बन्धित स्वयं पहचान हेतु लगाया गया विज्ञापन पटट/बैनर आदि।

(ग) इसके अतिरिक्त किसी विशेष परिस्थिति में विज्ञापन लगाने के लिये निःशुल्क अनुमति का अधिकार अधिशासी अधिकारी/लाईसेंसिंग अधिकारी में निहित होगा।

20—कोई भी विज्ञापनदाता/विज्ञापनकर्ता/फर्म/संस्था/विज्ञापन एजेन्सी का स्वामी किसी चालित वाहन पर विज्ञापन कर रहा हो उससे ठेली/रिक्शा/चालित वाहन से नियमानुसार नगर पंचायत द्वारा निर्धारित लाइसेन्स शुल्क जमा कराते हुए उक्तानुसार निर्धारित विज्ञापन शुल्क की दर से ही जमा कराना होगा।

21—किसी भी दुकान या अन्य व्यवसायिक संस्था के आगे अपनी संस्था के नाम अलावा यदि किसी भी प्रकार अन्य के विज्ञापन बोर्ड प्रचार-प्रसार हेतु लगाये जाते हैं, तो उसे विज्ञापन की श्रेणी में माना जायेगा तथा उनसे निर्धारित विज्ञापन शुल्क जमा कराया जायेगा।

22—कोई भी विज्ञापनदाता/विज्ञापनकर्ता/संस्था/फर्म/विज्ञापन एजेन्सी का स्वामी इस उपविधि (नियमावली) के प्राविधानों का उल्लंघन करके किसी भी विज्ञापन सामग्री का विज्ञापन बोर्ड आदि पर लगाकर उपयोग करता है तो वह दोषी माना जायेगा। ऐसे दोषी पर उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत आर्थिक दण्ड अधिरोपित होगा।

शास्ति (दण्ड)

उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा इस उपविधि के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करने वाले पर रु० 1000.00 अर्थदण्ड किया जा सकता है और उल्लंघन निरन्तर जारी रहने की दशा मे दोष सिद्ध होने की दशा में अपराधी से ऐसे प्रतिदिन के लिये रु० 25.00 प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जा सकता है।

बाला त्यागी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, बुढ़ाना,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर

31 दिसम्बर, 2021 ई०

सं० 607/न०प०बु०/2021-22—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 406/नौ-9-1997-95 जनरल/96, दिनांक 10 फरवरी, 1997 के प्रस्तर-6 में पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916(2) संशोधन 1994 की धारा 298 सूची-1 प्र-प्रकीर्ण (घ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) अपनी सीमा के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफारमर्स और सब-स्टेशनों पर किराया (शुल्क/फीस) निर्धारण एवं वसूली विनियमन एवं नियमन तथा नियंत्रण हेतु उपविधि बनाई है, जिसे नगर पंचायत बुढ़ाना ने अपनी बोर्ड बैठक दिनांक 06 जनवरी, 2018 के प्रस्ताव संख्या 06 के द्वारा स्वीकार किया है। उपविधि का प्रकाशन समाचार-पत्र 'अमर उजाला' के अंक दिनांक 04 मार्च, 2018 व मुजफ्फरनगर बुलेटिन के अंक दिनांक 05 मार्च, 2018 में प्रकाशन कराकर उपविधि प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये थे, नियत अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव नगर पंचायत कार्यालय में प्राप्त न होने की दशा में उक्त उपविधि/विनियमावली को अन्तिम रूप से लागू करने हेतु अन्तिम सूचना पुष्टि हेतु पुनः समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान" व पश्चिम ज्योति के अंक दिनांक 06 अप्रैल, 2018 में प्रकाशित कराई गई है। नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 की उपधारा (2) के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त नियमावली गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी।

विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफारमर्स/सबस्टेशन
विनियमन तथा नियंत्रण नियमावली, 2018

उपविधि

1—संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ—

(क) यह उपविधि नगर पंचायत बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) के सीमा के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफारमर्स/सबस्टेशन पर किराया निर्धारण एवं वसूली विनियमन एवं नियमन तथा नियंत्रण नियमावली (उपविधि) 2018 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) द्वारा सरकारी गजट प्रकाशन में प्रकाशित किये जाने की तिथि से लागू होगी।

2—परिभाषायें -

जब तक कोई प्रसंग प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में—

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम संख्या-2 सन् 1916 से है।

(ख) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर से है।

(ग) अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष/प्रशासक से है

(घ) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से है।

(ङ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर के अधिशासी अधिकारी से है।

(च) किराया का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत आरोपित किराया से है।

(छ) ट्रांसफारमर्स/सब स्टेशन का तात्पर्य विद्युत विभाग द्वारा नगर पंचायत बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर की सीमा अन्तर्गत स्थापित ट्रांसफारमर्स/सब स्टेशन से है।

3—नगर पंचायत बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर केवल उन्ही ट्रांसफारमर्स/सब स्टेशन पर वार्षिक किराया अधिरोपित कर विद्युत विभाग से वसूल करेगी अथवा बिजली के बिल में उक्त धनराशि समायोजित करेगी जो ट्रांसफारमर्स/सब स्टेशन नगर पंचायत बुढ़ाना की सीमा के अन्दर स्थापित होंगे।

4—नगर पंचायत बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित ट्रांसफारमर्स/सब स्टेशन पर वार्षिक किराया प्रतिवर्ष प्रतिवर्गफुट की दर से निर्धारित शुल्क वसूल या समायोजित करेगी।

5— निर्धारित किया गया शुल्क प्रति वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक जमा करना अथवा समायोजन कराना होगा।

6—ट्रांसफारमर्स/सब स्टेशन पर वार्षिक किराया की दर निम्न प्रकार होगी -

क्र०सं०	किराये का निर्धारण	किराये की दर
1	विद्युत विभाग द्वारा स्थापित ट्रांसफारमर्स/सब स्टेशन	रू० 120 प्रति वर्ग फुट (प्रतिवर्ष)

7—उपरोक्त किराया के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। जब तक कि वह निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खंडित अथवा स्थगित न कर दिया जाये। किराया से संबंधित उत्पन्न होने वाले वादों का न्याय क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर होगा

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर निर्देश देती है कि इस उपविधि का उल्लघन करने वाला दण्ड का भागी होगा। जो रू० 1,000 (एक हजार रूपये) तक हो सकता है और उल्लघन निरंतर जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है तो रू० 25 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड लिया जा सकता है।

बाला त्यागी
अध्यक्ष
नगर पंचायत बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर

कार्यालय, नगर पंचायत, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर

31 दिसम्बर, 2021 ई०

सं० 608/न०प०बु०/2021-22—नगर पंचायत बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293 व 298 के अन्तर्गत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत वांछित व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन एवं विनियमन हेतु उपविधि बनायी है। उपविधि का प्रकाशन समाचार-पत्र "अमर उजाला" व "मुजफ्फरनगर बुलेटिन" के अंक दिनांक 10 जनवरी, 2020 में नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 142 के अधीन कराकर धारा 143 के अन्तर्गत एक माह के भीतर आपत्तियाँ एवं सुझाव आमन्त्रित किये गये थे। नियत अवधि में कोई आपत्ति एवं सुझाव नगर पंचायत कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं। नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 की उपधारा (2) के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी,

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2020

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—इस उपविधि का नाम "नगर पंचायत बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2020" कहलायेगी तथा सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू/प्रभावी होगी। यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि तक प्रभावी रहेगी। इस प्रकार के संशोधन स्थानीय समाचार-पत्र में पर्याप्त नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेगे।

2- **लागू होना**—यह उपविधि नगर पंचायत बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा में (भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेगी) लागू होगी एवं सभी सार्वजनिक स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट उत्पादन करने वाले प्रत्येक स्वामित्व/अध्यासन वाले परिसर से सम्बन्धित व्यक्तियों पर जो नगर पंचायत बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा में है पर लागू होगी।

3- इस उपविधि में जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो उपविधि एवं परिशिष्ट में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा निम्नवत् है।

परिभाषाएं

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में

1—**"अभिकरण या अभिकर्ता"** से तात्पर्य नगर पंचायत बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संस्था या एजेन्सी या फर्म या संविदाकर्ता से है, जो उसकी ओर से गलियों की सफाई और अपशिष्ट के संग्रह, प्रबन्धन, परिवहन, भण्डारण, पृथक्करण, संग्रहण, यूजर चार्ज, शमन शुल्क के संग्रह आदि कृत्य का निर्वहन करे।

2— **जैवनाशित अपशिष्ट (बायोडिग्रेडिबल वेस्ट)"** से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नष्ट किये जाने योग्य कूड़ा-कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। उदाहरण स्वरूप पेड़ पौधा, जानवरों से जनित अपशिष्ट जैसे— रसोई अपशिष्ट, भोजन एवं फूलों का अपशिष्ट, पत्तियां, बगीचा का अपशिष्ट, जानवरों का गोबर, मीट/मछली का अपशिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ जो माइक्रोआर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड/डिकम्पोज हो सकता है।

3— **जैवचिकित्सा अपशिष्ट (बायोमेडिकल वेस्ट)"** से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है, जो किसी प्राणी या जन्तु के निदान या उपचार के दौरान या अनुसंधान क्रियाकलापों में या जीवों के उत्पादन या परीक्षण में सृजित हो। इसके अन्तर्गत अनुसूची तीन में उल्लिखित श्रेणियाँ भी सम्मिलित हैं।

4—**"शुष्क अपशिष्ट से तात्पर्य"** बायो डिग्रेडिबल अपशिष्ट और गली के निष्क्रिय कूड़ा करकट से भिन्न अपशिष्ट से है और जिसके अन्तर्गत री-साइकेबल अपशिष्ट, नान—रीसाइकेबल अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट और सेनेटरी नैपकिन और डाइपर आदि से है।

5—**"घरेलू परिसंकटमय (हजार्डस) अपशिष्ट"** से तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्पन्न संक्रामक हानिकारक अपशिष्टों जैसे फेंके हुए पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सी0एफ0एल0 बल्ब, ट्यूबलाइट, अवधि समाप्त औषधियां, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियां, प्रयुक्त सुइयाँ तथा सिरिंज और संदूषित पट्टियाँ आदि से है।

6—**"बायो मीथेनेशन से तात्पर्य"** ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें माइक्रोबियल एक्शन द्वारा कार्बनिक पदार्थ का इन्जाइमी डीकम्पोजीशन/ब्रेकिंग डाउन होता है जिसके कारण मीथेन से भरपूर बायोगैस का उत्पादन होता है।

7—**"द्वार—द्वार संग्रहण से तात्पर्य"** घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों के द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसायटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेन्ट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत काम्पलेक्स या परिसरों में भूतल पर प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है।

8—**"विकेन्द्रित प्रसंस्करण"** से तात्पर्य बायोडिग्रेडिबल अपशिष्ट के प्रसंस्करण को अधिकतम करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की संस्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम रीसाइकेबल सामग्रियों की पुनः प्राप्ति करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े।

9—**"ब्राण्ड ओनर से तात्पर्य"** ऐसी किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी से है जो किसी सामग्री की एक रजिस्टर्ड ब्राण्ड लेबल के अन्तर्गत वाणिज्य विक्रय करती है।

10—**"निपटान से तात्पर्य"** भूजल, सतही जल, परिवेशी वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए तथा विनिर्दिष्ट भूमि पर प्रसंस्करण उपरान्त अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा करकट और सतही नाले की सिल्ट का अन्तिम तथा सुरक्षित निपटान से है।

11—**"नगर निकाय"** से तात्पर्य नगर पंचायत बुढ़ाना से है।

12—**"बृहद अपशिष्ट सृजक (बल्क वेस्ट जनरेटर)"** से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों से है जो औसतन 100 किलोग्राम की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादित करते है तथा इसमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों अथवा उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक

या प्राईवेट सेक्टर की कम्पनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन या अन्य प्रयोगकर्ता जैसे कि क्लब, जिमखाना, शादीघर, मनोरंजन परिसर भी शामिल हैं, आदि से है।

13–**"संग्रहण"** से तात्पर्य नियत संग्रहण स्थलों या अन्य स्थानों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के उठाने और हटाने से है।

14–**"स्रोत पर संग्रहण"** से तात्पर्य किसी भवन के परिसर या भवनों के किसी समूह के परिसरों के भीतर से नगर निकाय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण से है। इसे घर-घर संग्रहण भी कहा जा सकता है।

15–**"सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र"** से तात्पर्य किसी ऐसी भण्डारण सुविधा से है जिसकी व्यवस्था तथा रख-रखाव नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु एक या उससे अधिक परिसरों के स्वामियों और/या अध्यासियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

16–**"कम्पोस्ट खाद निर्माण से तात्पर्य"** ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का जैविकीय अपघटन एरोबिक/एनएरोबिक अन्तर्ग्रस्त है। इसके अन्तर्गत कृमिक खाद निर्माण भी है, जो जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को वनस्पतिक खाद में परिवर्तित करने हेतु केंचुओं के प्रयोग की एक प्रक्रिया है।

17–**"निर्माण व ध्वस्तीकरण सम्बन्धी अपशिष्ट"** से तात्पर्य निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ध्वस्तीकरण संक्रिया से निकलने वाली भवन सामग्री, मलवा और रोड़ी से उत्पन्न अपशिष्ट से है।

18–**"ई–वेस्ट"** से तात्पर्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों से उत्पन्न अपशिष्ट से है यथा पुराने ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, लेपटॉप या अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट आदि।

19–**"अपशिष्ट छँटाई केन्द्र"** से तात्पर्य किसी ऐसी अभिहित भूमि, शेड, छतरी या हाथे से है जो किसी नगर निकाय की या सरकारी भूमि पर या अपशिष्ट को प्राप्त करने या उसकी छंटाई करने के लिए प्राधिकृत किसी सार्वजनिक जगह पर स्थित हो।

20–**"अपशिष्ट उत्पादक"** से तात्पर्य नगर निकाय की सीमा में नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था से है।

21–**"निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट से तात्पर्य"** किसी ठोस अपशिष्ट या प्रसंस्करण के अवशेष से है जिसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म उसे सफाई सम्बन्धी गड्ढे के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

22–**"कूड़ा कचरा से तात्पर्य"** किसी प्रकार का ठोस या तरल घरेलू या वाणिज्यिक कचरा, मलवा या कूड़ा या किसी प्रकार का शीशा, धातु आदि के टुकड़े, कागज, कपड़ा, लकड़ी, खाना, वाहन के परित्यक्त भाग, फर्नीचर या फर्नीचर के भाग, निर्माण से ध्वस्त सामग्री, उद्यान अपशिष्ट, कतरन, ठोस बालू या पत्थर और किसी सार्वजनिक स्थान पर जमा की गयी कोई अन्य सामग्री, पदार्थ या वस्तु से है।

23–**"संग्रहण"** से तात्पर्य कूड़े कचरे को ऐसे स्थान पर रखने से है, जहाँ पर वह गिराया या उतारा जाता है अथवा बह कर आता है, रिस्ता या अन्य प्रकार से बह कर आता है या किसी सार्वजनिक स्थान में या उस पर उसके गिराने, उतारने, बह कर आने, रिसने या किसी प्रकार से आने की सम्भावना हो।

24–**"स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह"** स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह से तात्पर्य आवासीय, वाणिज्यिक परिसरों के स्वामियों या अध्यासियों के किसी समूह या किसी विशिष्ट पड़ोस के ऐसे स्वामियों या अध्यासियों की समितियों या संगठनों से है जो नगर निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर परिभाषित किये गये हों, जो उस क्षेत्र में सफाई बनाये रखने और अपशिष्ट में कमी करने, पृथक्करण और पुनर्चक्रण के लिए उत्तरदायित्व लेने के लिए आगे आये हों और उसके उद्देश्य और प्रयोजन के अन्तर्गत सफाई बनाये रखना और अपशिष्ट के पृथक्करण और पुनर्चक्रण भी सम्मिलित हो और उसे नगर निकाय द्वारा स्थानीय क्षेत्र नागरिक समूह के रूप में अनुमोदित किया गया हो।

25–**"मार्ग विक्रेता (स्ट्रीट वेण्डर)"** से तात्पर्य किसी गली, लेन, पार्श्व-पथ, पैदल पथ, खड़ंजा, सार्वजनिक उद्यान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर या प्राइवेट क्षेत्र, अस्थायी रूप से निर्मित संरचना या स्थान से स्थान घूम कर साधारण जनता को दैनिक उपयोग के वस्तु, माल, खाद्य सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु के विक्रय करने या उन्हें एक

स्थान से दूसरे स्थान तथा स्थानान्तरित करने में लगे व्यक्ति से है जिसके अन्तर्गत फेरीवाला आदि सम्मिलित है।

26–"**नगरीय ठोस अपशिष्ट**" के अन्तर्गत नगर निकाय में उत्पादित ऐसा वाणिज्यक आवासीय और अन्य अपशिष्ट भी है, जो ठोस या अर्द्धठोस रूप में हो।

27 "**गैर सरकारी संगठन या स्वयंसेवी संगठन**" से तात्पर्य नगर के ऐसे गैर सरकारी संगठन से है, जो नगर में सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधित्व निकाय है, सुसंगत अधिनियमों के तहत पंजीकृत हो

28 "**अध्यासी**" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या किसी भवन या उसके भाग का अध्यासी है या अन्यथा रूप से उपयोग कर रहा है

29–"**स्वामी से तात्पर्य**" ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भवन भूमि या उसके भाग के स्वामी के अधिकारों का प्रयोग कर रहा है।

30–"**प्रसंस्करण**" से तात्पर्य ऐसा किसी वैज्ञानिक प्रसंस्करण से है जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण या भू-भरण स्थल हेतु उपयुक्त बनाने के प्रयोजन के लिए प्रसंस्करण हेतु अभिक्रियित किया गया है।

31– "**पुनर्चक्रण**" से तात्पर्य नये उत्पादों को उत्पादित करने हेतु पृथक्कृत गैर जैव विकृत ठोस अपशिष्ट को ऐसी कच्ची सामग्री में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है, जो मूल उत्पादों के समान हो सकती है या नहीं हो सकती है।

32–"**कचरा निस्तारण प्रभार से तात्पर्य**" नगर निकाय द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट उत्पादकों से नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन और निस्तारण के लिए अधिसूचित फीस या प्रभार से है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाइसेंसी के लिए यथा प्रयोज्य व्यापार कचरा प्रभार सम्मिलित है।

33–"**प्रयोक्ता शुल्क**" से तात्पर्य इस कार्य के संदर्भ में निर्धारित यूजर चार्ज से है,

34 "**पृथक्करण**" से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट को विनिर्दिष्ट समूह के जैव नाशित परिसंकटमय जैव चिकित्सीय निर्माण और ध्वंस सामूहिक उद्यान और बागवानी एवं समस्त अन्य अपशिष्ट को पृथक करने से है।

35–"**छँटाई**"**करना** से तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुनर्चक्रण योग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे कागज प्लास्टिक गत्ता धातु कांच आदि को समुचित पुनः चक्रण सुविधा में पृथक करना सम्मिलित है।

36– "**भण्डारण**" से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के उस रीति से अस्थायी संग्रहण से है जिससे कि कूड़ा करकट के बिखराव, रोगवाहकों के आकर्षण, आवारा पशुओं और अतिशय दुर्गन्ध को रोका जा सके।

37–"**परिवहन**" से तात्पर्य नगरीय ठोस अपशिष्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है।

38 "**विहित प्राधिकारी**" में अधिशासी अधिकारी से सफाई कर्मचारी तक समस्त अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित माने जायेंगे।

39–"**अनाधिकृत स्थल**" से तात्पर्य सम्बन्धित कार्य व्यवहार/क्रिया के लिये अधिकृत अथवा निश्चित/निर्धारित स्थल के अतिरिक्त सभी स्थलों से है।

इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 में उनके लिए क्रमशः समनुर्दिशित है जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

इस उपविधि के अन्तर्गत उपरोक्त दी गयी परिभाषा से सम्बन्धित दायित्वों/कर्तव्यों/कार्यों का विवरण प्रतिशोध, शस्ति, प्रशमन आदि का विवरण निम्नवत् है।

अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के सामान्य कर्तव्य 2 प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता -

(क) उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का पृथक्कृत और तीन पृथक शाखाओं अर्थात बायोडिग्रेडिबल नान-बायोडिग्रेबल और घरेलू हजार्डस अपशिष्ट के तीन अलग-अलग रंग के डिब्बे क्रमशः हरा, पीला एवं लाल में भण्डारित करेगा और समय-समय पर नगर पंचायत द्वारा निर्गत निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(ख) प्रयोग किये गये स्वास्थ्यकर अपशिष्ट जैसे डायपरों और स्वास्थ्यकर पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्राड स्वामियों द्वारा उपलब्ध करायी गई थैली में या स्थानीय

प्राधिकारियों द्वारा यथा निर्देशित उपयुक्त लपेटने रैपर। सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट हेतु बनाये गये डिब्बे में उसे डालेगा।

(ग) अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भण्डारित करेगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार इसका निपटान करेगा।

(2) कोई अपशिष्ट उत्पादक उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली, नाला या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलायेगा और न गाड़ेगा।

(3) सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ऐसी उपयोक्ता फीस का भुगतान करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिये नगर पंचायत की उपविधि में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को नगर पंचायत द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा तथा इस संदर्भ में दी गयी अनुमति की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(5) प्रत्येक पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेन्डर) अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट, प्रयोजन (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियल के छिलकों, शेष बचे भोजन, सब्जियों, फलों आदि के लिये उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर पंचायत द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा अन्यथा समीपस्थ सम्बन्धित अपशिष्ट संग्रह पात्रों में डालेगा।

(6) 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी गेट लगे समुदाय और संस्थान नगर निकाय की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर ही पृथक करना, पृथक किये गये अपशिष्ट का अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने में सहायता करना तथा पुनर्चक्रक को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट का जहाँ तक संभव होगा परिसर के अन्दर संसाधित, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायोमीथेनेशन के जरिये निपटान किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर पंचायत द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

(7) सभी वृहद अपशिष्ट सृजक नगर निकाय की भागीदारी में इन नियमों में यथा विहित उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट को स्रोत पर पृथक करने, पृथक किये गये अपशिष्ट को अलग-अलग पात्रों में संग्रहण करने और पुनर्चक्रणीय सामग्री को प्राधिकृत अपशिष्ट उठाने वाला अथवा प्राधिकृत पुनर्चक्रकों को सौंपना सुनिश्चित करेंगे। वृहद अपशिष्ट उत्पादक द्वारा बायोडिग्रेबल अपशिष्ट का परिसर के अन्दर, संसाधन, उपचारित और कम्पोस्टिंग करके अथवा बायो मिथेनाइजेशन के जरिये निपटान अनिवार्य रूप से किया जायेगा। शेष अपशिष्ट नगर निकाय द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या अभिकरण को सौंप दिया जायेगा।

प्रतिषेध 3 (1) कोई व्यक्ति स्वयं या दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी साधन से जानबूझकर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान, निजी या सार्वजनिक जल निकासी कार्यों से सम्बद्ध नाली, गली, गड्ढा, सम्वालन पाइप और फिटिंगों में कोई कूड़ा कचरा या अपशिष्ट नहीं फेंकेगा या फेंकवायेगा जिससे निम्नलिखित की सम्भावना हो—

(i) जल निकास और मल नालियों को क्षति पहुँचने की

(ii) नाली एवं मल पदार्थ के निर्बाध प्रवाह या उसके उपचार और व्ययन में बाधा पड़ने की

(iii) खतरनाक होने या उपताप कारित करने या जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की

(2) कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित लोक सुविधाओं के सिवाय प्रसुविधाओं के किसी सार्वजनिक स्थान पर स्नान नहीं करेगा, न ही थूकेगा, न पेशाब करेगा, न ही उसे विकृत करेगा, न पशुओं और चिड़ियों के समूह को खिलायेगा और न ही पशुओं, वाहनों, बर्तनों या किसी अन्य वस्तु का प्रक्षालन करेगा।

(3) कोई व्यक्ति स्वामी या अधिभोगी स्वामित्व प्राप्त या अध्यासित किसी परिसर के सामने या उससे सलग्न किसी सार्वजनिक स्थल को किसी प्रकार के अपशिष्ट चाहे वह द्रव्य, अर्द्धठोस या ठोस पदार्थ हो जिसमें मल प्रवाह और अपशिष्ट जल भी सम्मिलित है, से गन्दा नहीं करेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति खुले में शौच/पेशाब न तो स्वयं करेगा और न ही अपने पालक से करायेगा।

(5) पालतू पशुओं के स्वामी किसी भी दशा में उन्हें खुला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इससे मार्गों/खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध एवं दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है।

(6) कोई भी व्यक्ति घाटों, सीढ़ियों, सड़कों के डिवाइडर, नाम पटों, साइनेज या मार्ग दर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपका कर या अन्य प्रकार से गंदगी नहीं करेगा।

(7) कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्मोकोल आइटम्स का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय नहीं करेगा।

(8) कोई भी व्यक्ति सड़क, मार्ग या अनाधिकृत स्थल पर जानवरों का गोबर, लीद, पशौनी या अन्य इसी प्रकार के पदार्थ न तो डालेगा और न ही डलवायेगा।

(9) कोई भी व्यक्ति जानवरों का पालक/स्वामी ड्रेनेज/सीवरेज सिस्टम में गोबर सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी नहीं करेगा।

(10) कोई भी व्यक्ति या उसका पालक किसी सार्वजनिक स्थल, सड़क, पार्क आदि में अपशिष्ट नहीं डालेगा। इन स्थानों की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालकर गन्दगी करने पर अथवा सफाईकर्मी द्वारा घर-घर से अपशिष्ट एकत्रित करने के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा गली या सड़क पर कूड़ा डालते हुए पाया जाता है तो अपशिष्ट को स्थल से हटाकर निस्तारण स्थल तक ले जाने का व्यय सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता से वसूल किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण

4. **(1) घरेलू अपशिष्ट का घर-घर संग्रहण:—**

(क) प्रत्येक सफाईकर्मी को कंटेनरयुक्त हाथठेला तथा एक घण्टी या सीटी उपलब्ध करायी जायगी, प्रत्येक कर्मी को सफाई बीट में सफाई तथा निर्धारित की गई संख्या में भवनों के अपशिष्ट संग्रहण का दायित्व सौंपा जायेगा। सफाईकर्मी घण्टी या सीटी बजाकर सफाई तथा घरों से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य यथा-निर्धारित समयावधि में एवं यथा-निर्धारित स्वरूप में करेगा।

(ख) नगर निकाय वैकल्पिक रूप में घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण के लिए कन्टेनरयुक्त वाहन/मोटरवाहन की व्यवस्था कर सकेगा।

वाहन चालक, घर या बीट में हार्न बजाकर अपने आने की सूचना देगा, स्वामी या अध्यासी अपने घरेलू अपशिष्ट को सीधे कन्टेनर में डालेगा।

(ग) किसी कारणवश उप नियम (क) अथवा (ख) में अंकित व्यवस्था सम्भव न होने पर स्वयं सेवी संगठनों, अभिकरणों अथवा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन घर-घर से अपशिष्ट संग्रहण का कार्य कराया जा सकेगा।(घ) भवन स्वामी या अध्यासी से प्रयोक्ता शुल्क भी वसूला जा सकेगा।

(2) **होटल अपशिष्ट का संग्रहण**—होटल या रेस्तरां द्वारा अपशिष्ट संग्रहण के लिए स्वयं की व्यवस्था की जायगी। नगर निकाय द्वारा यह व्यवस्था सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी।

(3) **शादी घरों, कल्याण मण्डपों एवं सामुदायिक केन्द्रों के अपशिष्ट का संग्रहण**—शादी घरों, कल्याण मण्डपों, सामुदायिक केन्द्रों से प्रतिदिन अपशिष्ट संग्रहण के लिए नगर निकायों द्वारा सम्पूर्ण लागत मूल्य के भुगतान के आधार पर की जा सकेगी। यह व्यवस्था ठेकेदारों द्वारा अथवा अभिकर

ण/अभिकर्ताओं द्वारा भी करायी जा सकेगी।

(4) वधशाला अपशिष्ट तथा मृत पशुओं की अस्थियों का निस्तारण वैज्ञानिक रीति से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार की जायेगी। इस अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(5) औद्योगिक अपशिष्ट का संग्रहण परिवहन और निस्तारण औद्योगिक आस्थानों द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(6) अनुपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट (जैसा अनुसूची–3 में सूचीबद्ध है) को विनिर्दिष्ट प्रकार के आच्छादित पात्रा में मण्डारित किया जायगा और अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा संग्रह वाहन को सौंपा जायगा जिसकी व्यवस्था साप्ताहिक समयान्तर से नगर निकाय द्वारा या किसी अभिकरण द्वारा की जायगी या ऐसे अपशिष्ट के संग्रह के लिए अभिहित केन्द्र को ऐसी रीति से निस्तारण करने के लिए सौंपा जायगा जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और व्यवस्था) नियमावली 2000 के अनुसार आदेशित हो।

(7) निर्माण और ध्वसनीकरण सम्बन्धी अपशिष्ट के मण्डारण और निस्तारण के सम्बंध में लघु सृजकों (घरलू स्तर) के लिए यह उत्तरदायित्व पूर्ण होगा कि वह प्रारम्भिक अवस्था में ही पृथक-पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का भण्डारण करेंगे एवं नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर उसका परिवहन कर डालेगा अन्यथा की स्थिति में उत्पादक नगर निकाय या उसके अभिकर्ता से सम्पर्क स्थापित करेंगे जो उत्पादक से पृथक–पृथक किये गये निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को उठाने के लिए वाहन उपलब्ध करायेगा जिसका एक विनिर्दिष्ट प्रभार होगा। तदुपरान्त इस अपशिष्ट को प्रसंस्करण केन्द्र को भेज दिया जायेगा।

(8) सभी जैव अनाशित (नान–बायोडिग्रेडिबल) व ई–अपशिष्ट पुन: प्रयोग करने योग्य और पुन: प्रयोग न करने योग्य अपशिष्ट का भण्डारण अपशिष्ट के प्रत्येक उत्पादक द्वारा पृथक-पृथक किया जायेगा और उसे निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह वाहन को सौंपा जायेगा जिसकी व्यवस्था नगर निकाय या उसके अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे स्थानों और ऐसे समय पर की जायेगी जैसा कि ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा या नगर निकाय या सरकारी या निजी भूमि पर स्थापित लाईसेन्स प्राप्त ऐसे अपशिष्ट के छंटाई केन्द्रों को दिया जायेगा। पिछड़ा बिनने वाली सहकारी संस्थाओं, लाईसेन्स प्राप्त पुन: प्रयोगकर्ताओं या कबाड़ियों को अपशिष्ट संग्रह सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए नगर निकाय के लाईसेन्स प्राप्त अभिकर्ताओं के साथ ऐसे अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों के संचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता है। (पुन: प्रयोग करने योग्य अपशिष्ट के प्रकार की विस्तृत सूची अनुसूची दो में दी गई है)।

(9) उद्यान और बागवानी अपशिष्ट की प्रारम्भिक अवस्था में ही कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी। जहां स्थल पर ही कम्पोस्ट खाद बनाना सम्भव न हो नगर निकाय अधिसूचित उचित फीस लेकर पृथक-पृथक किये गये उद्यान और बागबानी अपशिष्ट का संग्रह और परिवहन जारी रखेगा।

(10) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित अपशिष्ट को हाथठेला गाड़ियों से सामुदायिक अपशिष्ट संग्रह स्थल पर डाला जायेगा।

(11) किसी प्रकार के अपशिष्ट को जलाया नहीं जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण

5 **(1) प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी या अध्यासी या अपशिष्ट उत्पादक नगरीय ठोस अपशिष्ट को अपशिष्ट उत्पादन स्त्रोत के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में पृथक करेगा–**

(क) जैव नाशित (बायोडिग्रेडिबल) अपशिष्ट
(ख) जैव अनाशित (नानबायोडिग्रेडिबल) अपशिष्ट
(ग) जैव चिकित्सीय (बायोमेडिकल) अपशिष्ट
(घ) घरेलू परिसंकटमय (हजार्डस) अपशिष्ट
(ड) सी0 एण्ड डी0 वेस्ट(निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट)
(च) ई–वेस्ट

(2) पृथक्करण के लिए नगर निकाय द्वारा जनजागरण एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस हेतु जन कल्याण समितियों, गैर सरकारी संगठनों, कक्ष समितियों तथा नागरिक समूहों को सम्मिलित किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का भण्डारण

6 (1) नगर निकाय नगरीय ठोस अपशिष्ट के भण्डारण की सुविधाओं की स्थापना और अनुरक्षण इस नीति से करेगा कि आस-पास अस्वास्थ्यकर स्थिति न उत्पन्न हो।

(2) भण्डारण सुविधा सुगम स्थल पर होगी।

(3) भण्डारण सुविधा इस प्रकार की हो कि वहां किसी प्रकार का प्रदूषण तथा गन्दगी न फैले।

(4) नगरीय ठोस अपशिष्ट का मण्डारण व हथालन सुगमतापूर्वक हो सके अत: यह कार्य मशीनों द्वारा किया जाना श्रेयस्कर होगा।

(5) जहां किसी सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र चाहे वह खुले स्थान में हो या

बन्द शेड में जो किसी परिसर में हों या सार्वजनिक स्थान पर स्थित हों, से नगर निकाय वाहनों द्वारा सीधे ही नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रह किया जाता हो वहां ठोस का पृथक-पृथक किये गये अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्था किये गये अनुसार जमा किया जायेगा।

सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र

7 अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का निस्तारण इस हेतु उपबन्धित अपशिष्ट वाहनों तथा अपशिष्ट भण्डार केन्द्रों में किया जायेगा जहां से नगर निकायों द्वारा संग्रह वाहन ऐसे अपशिष्ट का प्रतिदिन समय पर संग्रहित करेगा जैसा अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी समय-समय पर अधिसूचित करें।

ढाँचागत सुविधाओं की व्यवस्था

8 नगर निकाय इस नियमावली के प्राविधानों के अनुपालन में नागरिकों की सहायता करने के लिए पर्याप्त ढाँचागत सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। अपशिष्ट संग्रह सेवाओं के अतिरिक्त कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन, सामुदायिक भण्डारण केन्द्र, अपशिष्ट छँटाई केन्द्र और कम्पोस्ट खाद बनाने के केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जहां कहीं सम्भव और आवश्यक हो यह कार्य स्थानीय नागरिकों के परामर्श और सहभागिता से किया जायेगा। मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों और प्रक्षालन सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जायेगी, जिसमें संगठनों या स्थानीय क्षेत्र के नागरिक समूहों पर आधारित स्थानीय समुदायों की भागीदारी होगी।

सुविधा और सहायता [redacted] करना

9 अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कम्पोस्ट खाद बनाने वाले विशेषज्ञों, लाइसेन्स प्राप्त कबाड़ियों, पुनः प्रयोग करने वाले व्यापारियों, कूड़ेदान विनिर्माताओं, पुनः प्रयोग करने में सिद्धहस्त अभिकरणों की सूची बनायेगा और उसे प्रकाशित करेगा, जिससे कि अपशिष्ट का पुनः प्रयोग करने योग्य बनाने में नागरिकों को सुविधा और सहायता मिल सके, कर्मचारियों और पंजीकृत व्यक्तियों और संगठनों के नाम और टेलीफोन नम्बर नगर निकाय के सम्मिलित कार्यालयों से उपलब्ध कराये जायेंगे। ये संगठन इस प्रक्रियाओं के सम्बंध में प्रशिक्षण, दिशा निर्देश और सहायता प्रदान कर सकते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं और क्षेत्रीय नागरिक समूहों के माध्यम से इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न की जायेगी।

कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार का लगाया जाना

10 नगर निकाय होटलों, रेस्तरां और अपशिष्ट के अन्य सृजकों पर कूड़ा कचरा निस्तारण प्रभार लगायेगा। अपशिष्ट प्रभार का निर्धारण अधिशासी अधिकारी द्वारा अपशिष्ट की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक सिद्धान्त के आधार पर किया जायेगा।

कम्पोस्ट खाद को बनाया जाना

11 अपशिष्ट के सृजकों को प्रोत्साहित किया जाय कि वे अपने जैवनाशित अपशिष्ट से कम्पोस्ट खाद बनाये जायें और उसे अपने बगीचों और अपने निजी परिसरों में लगाये गये पेड़ों और आस-पास के पेड़ों में डालें। इस कार्य से बची हुई कम्पोस्ट खाद को नगर निकाय निर्विर्दिष्ट निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण

12 (1) जहां कहीं सम्भव हो नगर निकाय सार्वजनिक पार्कों, क्रीड़ा स्थल, मनोरंजन उद्यानों, अधिक मात्रा में खाली भूमि चाहे वह नगर निकाय या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण या सरकारी विभाग के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा अनारक्षित हो पर लघु प्रसंस्करण इकाइयां (कम्पोस्ट खाद बनाना या जैव मीथेनीकरण) स्थापित करेगा। ऐसी इकाइयों की स्थापना तथा अनुरक्षण गैर सरकारी संगठनों, अभिकर्ताओं, व्यवस्था अधिकारियों, ठेकेदारों, किरायेदारों द्वारा भी की जा सकती है। ये संस्थाएँ स्थानीय समुदाय के लिए नमूनों का प्रदर्शन करेंगी और इस प्रकार से कार्य करेंगी जिससे समाज या पर्यावरण को कोई असुविधा या हानि न हो।

(2) नगर निकाय नदियों, झीलों, तालाबों, पूजा स्थलों आदि के पास कतिपय निर्दिष्ट स्थलों से पूजा सामग्रियों (फूल, पत्ती, फल) को विशेष पात्रों या कलशों में इकट्ठा करने हेतु या तो स्वयं दायित्व लेगा या इच्छुक संगठनों को प्राधिकृत करेगा। इन कलशों या पात्रों से इकट्ठा की गयी सामग्री को उपयुक्त स्थान पर गाड़ा जायेगा या कम्पोस्टिंग इकाइयों द्वारा विशेष रूप से व्यवस्था की जायेगी।

(3) अपशिष्ट के परिवहन लागत को कम करने और अपशिष्ट के स्थानीय प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के वृहत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सम्बन्धित अधिकारी से नोटिस प्राप्त करने वाले अपशिष्ट के किसी उत्पादक के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह यथाविनिर्दिष्ट उपयुक्त नोटिस की अवधि के पश्चात उद्गम स्थल पर या नोटिस में इस प्रयोजनार्थ अभिहित स्थलों पर जैवनाशित अपशिष्ट का प्रसंस्कृत करें।

(4) नगर निकाय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए यथा-आवश्यक एक से अधिक भूमि भरण स्थलों का चिन्हीकरण विकास और अनुरक्षण करेगी और उसमें ऐसे निष्क्रिय ठोस अपशिष्टों को जो पुनर्चक्रण अथवा प्रसंस्करण के लिए समुचित न हो डाला जायेगा

(5) पुनर्चक्रण योग्य अपनायेंगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन

13 अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी किसी सार्वजनिक या निजी स्थल पर अपशिष्ट एकत्रीकरण का बिन्दु चिन्हित करायेगा जहां नगर निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गाडी को दिये जाने के लिए एकत्रित अपशिष्ट को लाया जायेगा। कूड़ा गाडी की सेवायें नगर निकाय द्वारा मार्ग (रूट) योजना के अनुसार एकत्रित कूड़े को इकट्ठा करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी अपशिष्ट के परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन में रखा गया कूड़ा ढँका रहेगा।

स्रोत पर ही एकत्रीकरण

14 भवन स्वामियों या अध्यासियों द्वारा भवनों या भवन समूहों के परिसर के भीतर उपलब्ध कूड़ा स्त्रोत स्थान से एकत्रीकरण की व्यवस्था की जा सकेगी और नगर निकाय की गाडीयां / कर्मचारियों द्वारा उस कूड़ा पात्रों तक ऐसे समय तक पहुंचाई जायेगी जैसा अधिसूचित किया जाये।

सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र

15 आपवादिक मामलों में जहां स्थान-स्थान पर एकत्रीकरण या स्त्रोत पर ही एकत्रीकरण सम्भव न हो वहां नगर निकाय द्वारा सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण केन्द्र का सार्वजनिक सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जहां आवश्यक और सम्भव हो रखरखाव किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।

अपशिष्ट छटाई केन्द्र

16 पुनर्चक्रीय और अपुनर्चक्रीय अपशिष्ट की छटाई कार्य को विनियमित करने तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए सम्बन्धित अधिकारी अपने अपशिष्ट छटाई केन्द्रों की व्यवस्था करेगा जो आवश्यक और सम्भव हो। ये अपशिष्ट छटाई केन्द्र नगर निकाय की भूमि पर या सरकारी अथवा अन्य निकायों की भूमि पर हो सकते हैं जो इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से शेड या गुमटी के रूप मे उपयुक्त सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराये जायेंगे। इनकी व्यवस्था कूड़ा बीनने वालों की रजिस्टर्ड सहकारी समितियों या अनुज्ञा प्राप्त रीसाइक्लर्स या नगर निकाय द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य अभिकरणों द्वारा भी की जायेगी।

छटाई के बाद अवशेष अपुनर्चक्रीय कूड़े को प्रसंस्करण या भूमि भराव के लिए ऐसे छटाई केन्द्रों से कूड़ा निस्तारण स्थलों पर भेजा जायेगा। ऐसे अपशिष्ट छटाई केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के कूड़े को अधिसूचित दरों पर क्रय एवं विक्रय का कार्य अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

स्थानीय नागरिक समूह

17 स्वैच्छिक संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों अथवा स्थानीय नागरिक समूहों को विनिर्दिष्ट प्रशासनिक प्रभार इकट्ठा करने हेतु अनुबन्ध के आधार पर नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा जिससे वे अपने क्षेत्र को साफ रख सकें। सड़कों की सफाई कूड़े के एकत्रीकरण परिवहन कम्पोस्टिंग आदि के लिए निर्धारित इकाई दरें पर नगर निकाय या स्वामियों या अध्यासियों से भुगतान प्राप्त कर सकेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया माडल उपविधियों तथा स्थानीय नागरिक समूहों स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा गैर सरकारी संगठनों हेतु माडल अनुबन्ध का प्रारूप नगर पंचायत की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन पर उपलब्ध करायी जायेगी।

जागरूकता शिक्षा और प्रशिक्षण

18 अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी स्वयंसेवी संस्थाओं स्थानीय नागरिक समूहों नगर निकायकर्मी और उसके अभिकर्ता नगर के स्कूल आवासीय समितियां गन्दी बस्तियों दुकानों फेरी वालों कार्यालय स्कूलों औद्योगिक इकाइयों वाणिज्यिक यूनियनों सकल एरिया सिटिजन ग्रुप आदि से सफाई के सम्बन्ध मे शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाया जायेगा। उसके पश्चात इन सबकी शिक्षा जागरूकता सहभागिता एवं प्रशिक्षण के लिए एक समन्वित योजना एवं रणनीति तैयार कर उसे कार्यान्वित की जायेगी। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

अपशिष्ट प्रबन्धन केलिए जनसहभागिता को प्रोत्साहन

19 जन सहभागिता और सहयोग से किये गये सफाई कार्य और अपशिष्ट प्रबन्धन के सर्वोत्तम कार्यो के लिए नगर निकाय द्वारा प्रशंसा-पत्र और पुरस्कार प्रदान किया जायेगा तथा प्रचारित किया जायेगा। इसकी सूचना और विवरण निकाय के कार्यालयों तथा नगर निकाय वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे।

शिकायतों का निस्तारण 20 नगर निकाय इस नियमावली के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु कम्प्लेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम को संचालित करेगा या एक समुचित नया आनलाइन कम्प्लेण्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम तैयार करेगा। शिकायतों और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट के आंकड़े आनलाईन ग्रिवान्स मैनेजमेण्ट सिस्टम (आई०जी०एम०एस०) सिटिजन्स पोर्टल में प्रदर्शित की जायेगी।

नागरिकों की सफाई टीम 21 अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई कार्यों में विशेष रुचि एवं सहयोग प्रदान करने वाले नागरिकों को स्वच्छताग्राही नामित कर सकता है।

सम्बन्धित नागरिक नगर के प्रत्येक वार्ड में सफाई टीम का भी गठन कर सकते है तथा सर्वेक्षण करके सफाई के अनुश्रवण हेतु नियमित रिपोर्ट उपलब्ध करा सकते हैं। इन रिपोर्टों को नगर निकाय कार्मिकों को अग्रसारित किया जायेगा ताकि इसके माध्यम से उस क्षेत्र की सफाई और अनुश्रवण सुनिश्चित हो सके। इसमें नगर निकाय की कक्ष समितियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

आकस्मिक निरीक्षण 22 अनुपालन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नगर निकाय की म्युनिसिपल सीमाओं में सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने वार्डों के विभिन्न भागों में किसी भी समय (दिन या रात) आकस्मिक जांच करेंगे। किसी उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा, निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले कूड़े-कचरे की सफाई नगर निकाय द्वारा की जायेगी और उसमें अन्तर्ग्रस्त व्यय उल्लंघनकर्ता से वसूला जा सकेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में दायित्व 23 (1) **मलिन बस्तियों की सफाई के सम्बंध में दायित्व—**

[क] अधिशासी अधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए जहां-जहां भी योग्य समुदाय आधारित संगठन आगे आये, वर्तमान में अनाच्छादित क्षेत्रों में उनके वार्डों के अन्तर्गत दत्तक बस्ती योजना (मलिन बस्ती अपनाने के अन्तर्गत) का विस्तार करेंगे।

[ख] जहां आवश्यक हो नगर निकाय की गाड़ी पृथक्कीकृत ठोस अपशिष्ट का संग्रह करने के लिए मलिन बस्ती के बाहर किसी स्थान पर नियत समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

[ग] अपवादिक मामलों में जब तक गाड़ी की सेवायें तत्समय सार्वजनिक मार्ग या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी चिन्हित बिन्दु पर अपेक्षित अन्तराल पर उपलब्ध नहीं करायी जा सकती हो, नगर निकाय द्वारा मानक सीमेंट सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान की व्यवस्था की जायेगी जहां कूड़ा उत्पन्न करने वालों के द्वारा पृथक्कीकृत अपशिष्ट जमा किया जायेगा और वहां से नगर निकाय ऐसे अपशिष्ट का संग्रह करेगी।

(2) **मुर्गी पालन, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट उत्पादक के दायित्व**—चिन्हित बूचड़खाना और बाजारों से भिन्न किसी भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी जो मुर्गी, मछली और बूचड़खाना अपशिष्ट को किसी व्यावसायिक गतिविधि के फलस्वरूप उत्पन्न करता है ढकी हुई स्वच्छ स्थिति में उसका पृथक भण्डारण करेगा और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराये गये नगर निकाय के संग्रह वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दैनिक रूप से पहुंचायेगा, किसी सामुदायिक कूड़ादान में ऐसे अपशिष्ट को जमा करना निषिद्ध है और अर्थदण्ड की अनुसूची में इंगित अर्थदण्ड का भागी होगा।

(3) **ठेले वालों/फेरी वालों के दायित्व**—प्रत्येक ठेले वालों या फेरी वालों सामान बेचने की गतिविधि से उत्पन्न किसी अपशिष्ट के संग्रह के लिए अलग-अलग डिब्बे या कूड़ेदान रखेगा। सम्यक रूप से पृथक किये गये अपशिष्ट को नगर कूड़ा गाड़ी या निकाय चिन्हित सामुदायिक अपशिष्ट भण्डारण कूड़ादान तक पहुंचाने का दायित्व कूड़ा उत्पन्न करने वाले का होगा।

(4) **नाली की सफाई का दायित्व**—घरेलू नाली वाले भू-गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि वह घर की नाली में कोई अपशिष्ट नहीं इकट्ठा करेगा और नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे स्थान और ऐसे समय पर नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये अपशिष्ट संग्रह वाहन तक ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग करके पहुंचाया जाये। ऐसा करने में विफल रहने पर अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

जहां ऐसे भू-गृहादि का स्वामी या अध्यासी घर की नाली की सफाई के लिए नगर निकाय की सेवायें प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसे नगर निकाय से सम्बन्धित वार्ड कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निकाय द्वारा यथा निर्धारित प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान प्राप्त कर घर की नाली की सफाई कराई जा सकेगी।

(5) **पालतू पशु स्वामी का दायित्व**- किसी पालतू पशु के स्वामी का यह दायित्व होगा कि गली या सार्वजनिक स्थान पर पालतू पशु द्वारा फैलाई गयी किसी गन्दगी को शीघ्रता से हटा दे अन्यथा ऐसे अपशिष्ट के समुचित निस्तारण के लिए अर्थदण्ड की अनुसूची के अनुसार अर्थदण्ड का भागी होगा।

(6) **सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह आयोजनकर्ता का दायित्व**–सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सम्मेलन और समारोह (जिसमें जुलूस प्रदर्शनी सर्कस मेलों या राजनैतिक दलों की रैली व्यावसायिक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक समारोह विरोध प्रदर्शन धरना-प्रदर्शन इत्यादि शामिल है) के लिए जिसमें पुलिस और/या नगर निकाय की अनुमति अपेक्षित है समारोह या सम्मेलन के संयोजक का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों की सफाई सुनिश्चित करें।

नगर निकाय द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिदेय स्वच्छता प्रभार प्रयोक्ता आयोजक से समारोह की अवधि के लिए सम्बन्धित कार्यालय में जमा कराया जायेगा। यह प्रभार केवल सार्वजनिक स्थल की सफाई के लिए होगा। इसमें सम्पत्ति की क्षति आच्छादित नहीं होगी।

(7) **निपटान योग्य उत्पादों तथा स्वास्थ्यकर नैपकीनों और डाइपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों के कर्तव्य**–

(क) निपटान योग्य उत्पादों जैसे टिन काच प्लास्टिक पैकेजिंग इत्यादि के सभी निर्माताओं या ऐसे उत्पादों को बाजार में लाने वाले ब्राण्ड स्वामी अपशिष्ट प्रबन्धक प्रणाली की स्थापना के लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेंगे।

(ख) गैर नान बायोडिग्रेडिबुल पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पादों की बिक्री या विपणन करने वाले ऐसे सभी ब्राण्ड स्वामी उनके उत्पाद के कारण उत्पन्न हुए पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस ग्रहण करने के लिए प्रणाली की व्यवस्था करेंगे।

(ग) स्वास्थ्यकर नैपकीनों तथा डाइपरों के विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों में सभी पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों के प्रयोग की सम्भावना का पता लगायेंगे या अपने स्वास्थ्यकर उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकीन या डाइपर के निस्तारण के लिए पाउच या रैपर उपलब्ध करायेंगे

(घ) ऐसे सभी विनिर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों या विपणन कम्पनियों द्वारा अपनी उत्पादों को लपेटने और उनका निस्तारण करने के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी दी जायेगी।

नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति 24 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निकाय निश्चित करती है कि इस उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना अथवा उल्लंघन के दुष्प्रेरित करना दण्डनीय अपराध होगा। ऐसे व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य के विरुद्ध नियमानुसार अभियोजना संस्थित किया जायेगा।

अपराधों का प्रशमन 25 इस नियमावली के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अधिशासी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शमन शुल्क की ऐसी धनराशि के जैसा कि संलग्न अनुसूची–1 में उल्लिखित है वसूल करके प्रशमित किया जा सकता है और जहां अपराध का इस प्रकार प्रशमन–

(क) अभियोजन संस्थित किये जाने से पूर्व किया जाता है वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा।

(ख) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात किया जाता है, वहां प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जायेगा।

उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/समूह को विहित प्राधिकारी/कर्मचारी की पृच्छा पर अपना नाम व पता घोषित करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु विहित अधिकारी/कर्मचारी स्वतंत्र होगा और ऐसे व्यक्ति/संस्था अथवा समूह के भार साधक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए स्थानीय थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी/ पुलिस कर्मियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंप देगा।

अनुसूची–1
नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2020
प्रशमन शुल्क तालिका (ड्राफ्ट)

क्र0 स0	उल्लंघन	प्रशमन शुल्क	प्रत्येक बार पुन: उल्लंघन की दशा में प्रशमन शुल्क	नगर पंचायत द्वारा अपशिष्ट उत्पादक के दायित्वों का निर्वहन करने की दशा में प्रशासकीय व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5
		रु0		रु0
1	व्यक्ति / संस्था द्वारा किसी अनाधिकृत स्थल पर कोई अपशिष्ट फेलाना / फंकना, थूकना मूत्र विसर्जन करना, जानवरों / चिड़ियों को अनिर्दिष्ट स्थान पर खिलाना, उपकरण व वाहनों की धुलाई कपड़े धोना, सार्वजनिक स्थान, नदी तालाब या कुंड में गंदगी फैलाना।	500.00	प्रशमन शुल्क का दो गुना	शून्य
2	पार्क पार्क घाटों आदि सार्वजनिक स्थल की सफाई हो जाने के बाद अपशिष्ट डालने पर।	1,000.00		1000.00
3	घाटों सीढ़ियों सड़कों के डिवाइडर नाम पट्टी, साइनेज या मार्गदर्शक बोर्डों अथवा इसी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या अन्य सामग्री चिपकाकर या अन्य प्रकार से गंदगी करने / कराने पर।	500.00		1000.00
4	पालतू पशुओं को खुला छोड़कर मार्गों / खुले सार्वजनिक स्थलों पर उनके मलमूत्र से गंदगी, आवागमन में अवरोध पैदा करने / कराने पर।	500.00		1000.00
5	नाले, नालियों, ड्रेनेज / सीवरेज सिस्टम में गोबर इत्यादि डालकर गन्दगी करने पर–			
	5 (क) घरेलू पालक (5 जानवरों तक)	1,000.00		5000.00
	5 (ख) व्यावसायिक पालक (5 जानवरों से अधिक)	5,000.00		10000.00
6	डस्टबिन / स्टोरेज कन्टेनर के बाहर अपशिष्ट फैलाना	500.00		शून्य
7	किसी परिसर में 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए कूड़ा-करकट को बनाये रखना।	500.00		500.00
8	कानून का उल्लंघन करते हुए शव का अनियमित निस्तारण	1,000.00		शून्य
9	अपने परिसर को स्वच्छ रखने में असफल रहना–			शून्य
	(क) डबलिंग यूनिट / भवन / फ्लैट	500.00		
	(ख) दुकान / बूथ	500.00		
	(ग) मॉल / मल्टीप्लेक्स / शॉपिंग और होटल	5,000.00		
	(घ) शैक्षणिक / धार्मिक / अन्य संस्थान	2,000.00		
10	प्रतिबन्धित पॉलीथीन / थर्माकोल आइटम्स का उत्पादन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर मात्रा के अनुसार पॉलीथीन,कैरी बैग,प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा		प्रशमन शुल्क का दो गुना	शून्य
	(क) [1] 100 ग्राम तक	1,000.00		
	[2] 101 ग्राम से 500 ग्राम तक	2,000.00		
	[3] 501 ग्राम से 1 किलोग्राम तक	5,000.00		

1	2	3	4	5
		रु०		रु०
	[4] 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक	10,000.00		शून्य
	[5] 5 किलोग्राम से अधिक।	25,000.00		
	(ख) किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिकसंस्थान/कार्यालय/होटल/दुकानों/रेस्तराओं मिष्ठान/दुकानों, ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षा आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों, मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना। व्यक्तियों द्वारा किन्ही निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिकसंस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/ दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान भण्डार	25,000.00		शून्य
	(ग) दुकानों और ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षो आदि में और सड़क मार्गों नदियों झीलों, सार्वजनिक पार्कों, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना।	1,000.00		
11	बिना पृथक किये हुए तथा बिना अलग-अलग निर्धारित बिन में रखे हुए कूड़े को सौंपना			
	(क) व्यक्तिगत भवन/दुकान/बूथ	500.00		
	(ख) माल/मल्टीप्लेक्स/शॉपिंग/शॉपिंग,आर फेड/होटलमैरिज पैलेस	5,000.00		
	(ग) शैक्षणिक/धार्मिक/अन्य संस्थान	2,000.00 5,000.00		
	(घ) औद्योगिक कूखण्ड/यूनिट/इवेंट आरगेनाईजर्स			
12	वृहद अपशिष्ट (100 किलो ग्राम प्रतिदिन से अधिक) उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण न करना।	5,000.00	10,000.00 प्रतिमाह	प्रशमन शुल्क एव अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
13	विनिर्दिष्ट परिसकटमय अपशिष्ट (हजाडस वस्ट) को सार्वजनिक अथवा प्राइवेट स्थल पर डम्प करने पर।	2,000.00	4,000.00	प्रशमन शुल्क एव अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
14	बायोमेडिकल अपशिष्ट का अन्य अपशिष्ट के साथ डम्प करने पर।	5,000.00	10,000.00	प्रशमन शुल्क एव अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
15	विनिर्दिष्ट परन्तु परिसकटमय अपशिष्ट का यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000.00	2,000.00	
16	जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000.00	2,000.00	
17	निर्माण और ढहाने के अपशिष्ट का यथाविनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से भण्डारण न करन/अधिकृत एजेंसी को डिलीवरी न करने पर :–		कालम–3 की दा गुनी राशि	प्रशमन शुल्क एव अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय
	(क) आवासीय (प्लाट/फ्लैट/आवास)			
	(ख) दुकान/बूथ	500.00		
	(ग) व्यवसायिक/सस्थागत/औद्योगिक/अन्य	1,000.00		
		2,000.00		

1	2	3	4	5
		रु०		रु०
18	शुष्क अपशिष्ट ई-वेस्ट की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500.00	500.00	
19	उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छटाइ के कूड़े की यथा विनिर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	1,000.00	2,000.00	1,000.00
20	अपशिष्ट जलाकर निस्तारण करने पर।	500.00	1,000.00	
21	खुले में शौच करने पर।	500.00	1,000.00	
22	पालतू जानवरों के अपशिष्ट का सार्वजनिक गलियों/सड़कों/पार्क में फेंकना।	500.00	1,000.00	
23	घरेलू अपशिष्ट से भिन्न मछली, मुर्गा और अपशिष्ट की यथा निर्दिष्ट पृथक्करण रीति से डिलीवरी न करने पर।	500.00	1,000.00	
24	बिना डिब्बा/अपशिष्ट टोकरी के ठेले वालों/फेरी वाले/दुकानदारों के लिए।	100.00	200.00	
25	घर की नाली नहीं बनाने के लिए।	1,000.00	2,000.00	
26	सार्वजनिक सम्मेलन/समारोह के पश्चात् 24 घंटे के भीतर सफाई न करने के लिए।	5,000.00	10,000.00	प्रशमन शुल्क एवं अपशिष्ट के परिवहन का वास्तविक व्यय

अनुसूची–2
जैवनाशित और पुनर्चक्रीय अपशिष्ट की सूची

जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है। जैसे रसोई घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल, सब्जियों के छिलके, मांस और हड्डियाँ, उद्यान व पत्तियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी है, पशुओं का कूड़ा करकट, गोबर, सफाई के बाद की गंदगी, नारियल के छिलके, राख, अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट	पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे समाचार-पत्र, कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें, शीशा धातु के पदार्थ और तार, प्लास्टिक, फटे कपड़े, चमड़ा रैक्सीन, रबर, लकड़ी/फर्नीचर, पैकिंग के सामान व अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट

अनुसूची–3
जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनसे सम्बन्धित शोध कार्यों के दौरान या जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।

1–**धारदार अपशिष्ट**–सुइया, सिरींज, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार दोनों है।

2–**बेकार दवाईयों और साइटोटानिक्स औषधियां** अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाईयों का अपशिष्ट

3–**ठोस अपशिष्ट** रक्त और शरीर द्रव के दूषित सामग्री जिसमें रूई, पट्टी, प्लास्टर पट्टी, कपड़े की पट्टी, बिस्तर, चादर और रक्त से दूषित अन्य सामग्री।

अनुसूची–4

आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर का कूड़ा उठाने के लिए प्रस्तावित प्रयोक्ता शुल्क/यूजर चार्ज

आवासीय	विवरण	दर/प्रतिमाह
1	2	3
		रु0
श्रेणी क	गृहकर से छूट वाले परिवार	10.00 प्रतिमाह
श्रेणी ख	50 वर्ग मी0 क्षेत्रफल तक आवासीय इकाई	20.00 प्रतिमाह
श्रेणी ग	50 वर्ग मी0 क्षेत्रफल से अधिक 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक आवासीय इकाई	30.00 प्रतिमाह
श्रेणी घ	100 वर्ग मी0 क्षेत्रफल से अधिक 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक आवासीय इकाई	40.00 प्रतिमाह
श्रेणी ङ	200 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल वाली आवासीय इकाई	50.00 प्रतिमाह
श्रेणी च	हाउसिंग सोसायटी अपार्टमेन्ट प्रति फ्लैट यात्री धर्मशालायें/धर्मशाला	30.00 प्रतिमाह
आवासीय/व्यवसायिक–		
श्रेणी क	100 वर्गफीट क्षेत्रफल तक की दुकान	20.00 प्रतिमाह
श्रेणी ख	100 वर्गफीट से 200 वर्गफीट क्षेत्रफल तक की दुकान	30.00 प्रतिमाह
श्रेणी ग	200 वर्गफीट क्षेत्रफल से अधिक की दुकान	50.00 प्रतिमाह
श्रेणी घ	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 100 छात्र तथा छात्राए तक	50.00 प्रतिमाह
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 101 से 500 छात्र तथा छात्राएं तक	75.00 प्रतिमाह
	पब्लिक स्कूल तथा कोचिंग सेन्टर 501 से ज्यादा छात्र तथा छात्राए तक	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ङ	इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज मैनजमेन्ट कॉलेज एवप्राईवेट स्नातक/स्नातकोत्तर कॉलेज सन्टर शॉपिंग कम ऑफिस काम्पलैक्स प्राइवेट शिक्षण, संस्थाए प्राईवेट हास्टल	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी च	बैंक कार्यालय एलआईसी कार्यालय मैरिज होम, बैंक्वेट हॉल सिनेमा हाल गेस्ट हाउस, रेस्टोरेन्ट इत्यादि तथा होटल 10 कमरों तक	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी छ	माल्स, क्लब, होटल 10 कमरों से अधिक	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी ज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सरकारी अस्पताल	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी झ	प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम (बेड युक्त)	500.00 प्रतिमाह
श्रेणी ट	पैथालॉजी लैब क्लीनिक दवाइयों की दुकान	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ड	अन्य सरकारी कार्यालय/सरकारी स्कूल	50.00 प्रतिमाह
श्रेणी ण	रिटेल चैन्स (जैसे बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट मैट्रो बाजार आदि)	1,000.00 प्रतिमाह
श्रेणी त	रोड साईड वेन्डर (वेन्डर जोन सहित)	5.00 प्रतिमाह

1	2	3
		रु0
श्रेणी थ	रोड साईड फास्ट फूड कार्नर, चाय/जूस की दुकान व चाट हाउस आदि।	10.00 प्रतिमाह
श्रेणी द	गोदाम एवं वेयरहाउस 1000 वर्गफीट	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी न	शराब की दुकानें	200.00 प्रतिमाह
श्रेणी प	हाट मार्केट, साप्ताहिक बाजार	20.00 प्रतिस्टाल
श्रेणी फ	शोरुम, सर्विस सेन्टर, छोटे गैराज	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी ब	प्रदर्शनी ग्राउन्ड मेला	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी भ	छोटे कुटीर उद्योग कार्यशालायें (गैर खतरनाक/प्रदूषक) प्रतिदिन 10 कि0 अपशिष्ट	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी म	प्रिंटिंग प्रेस, पैट्रोल पम्प	100.00 प्रतिमाह
श्रेणी र	ऐसे भवन जिनमे पालतू पशु (गाय, भैंस, बकरी, सुअर आदि) पाल रखें हो जिनका व्यवसायिक उपयोग न किया जाता हो।	10.00 प्रतिमाह निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त देय होगा।
श्रेणी ल	अन्य जो उपरोक्त मे से छूट गया हो।	जो नगर पंचायत बुढ़ाना द्वारा निर्धारित किया जाये।

नोट:—1—प्रयोक्ता शुल्क भुगतान न करने की दशा मे अधिशासी अधिकारी या उनके प्राधिकृत अधिकारी को इन उपविधियों में वर्णित की गई दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका 20 गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउन्डिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।

2—यदि कोई उपभोक्ता एक वर्ष का प्रयोक्ता शुल्क अग्रिम (एडवांस) जमा करता है तो 01 माह के प्रयोक्ता शुल्क की छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

3—विधवा/बेसहारा महिला/दिव्यांग एकल रूप से (50 वर्ग गज मकान में स्वयं निवास करते हो) प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा, जिसका प्रमाण-पत्र प्रत्येक वर्ष नगर पंचायत बुढ़ाना से प्राप्त करना होगा। यदि भवन अथवा भवन का आंशिक भाग किराये पर दिया गया है तो वह भवन स्वामी छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा,

4—वह वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हो तथा 100 वर्ग गज तक के मकान मे निवास करते हो एवं शारीरिक अथवा मानसिक रूप में अस्वस्थ हो एवं उनके साथ वृद्ध पत्नी के अतिरिक्त अन्य कोई परिवारजन अथवा अन्य सहायक आवासित न हो उनको प्रयोक्ता शुल्क से मुक्त रखा जायेगा परन्तु ऐसे वरिष्ठ नागरिक को नगर पंचायत बुढ़ाना से इस सम्बंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा

5—जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपरोक्त अनुसूची—4 की सीमा में नहीं आयेंगे। इनका निस्तारण जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम—2016 के अन्तर्गत होगा।

6—प्रयोक्ता शुल्क अनुसूची—4 में वर्णित शुल्क प्रत्येक 2 वर्ष में नगर पंचायत द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी। पुनरीक्षण का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बुढ़ाना मे निहित होगा। उपरोक्त उपविधि में पुनरीक्षण के पश्चात शुल्क मे की गयी वृद्धि किसी भी दशा मे 10 प्रतिशत से कम नही होगी।

7—यह उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से इस विषय में सम्बन्धित पूर्व मे प्रचलित उपविधि निरस्त हो जायेगी।

बाला त्यागी,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, बुढ़ाना,
मुजफ्फरनगर।

कार्यालय, नगर पंचायत, कबरई (महोबा)

02 अप्रैल, 2022 ई०

सं० 04 / न०प०क० / गजट / 2022-23 उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (2) के अधीन नगर पचायत, कबरई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2017 तैयार की गयी है जिस दैनिक "आज" कानपुर समाचार-पत्र को दिनाक 06 अक्टूबर 2021 के अक में प्रकाशित कराया जा चुका है निर्धारित अवधि म कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अत: इसे राजकीय गजट म प्रकाशित किया जाता है। यह उपविधि राजकीय गजट में प्रकाशित तिथि से प्रभावी होगी।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि

1—सक्षिप्त शीर्ष नाम प्रारम्भ और आपत्ति।

2—यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित के दिनाक से प्रभावी मानी जायगी।

परिभाषायें 3 विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल होने पर इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1916 से है

(ख) नगर पंचायत से तात्पय नगर पंचायत कबरई (महोबा) से है,

(ग) शुल्क का तात्पर्य नगर पंचायत में वर्जित मदों पर लगाये शुल्क से है।

(घ) प्रशासक / अध्यक्ष / प्रभारी अधिकारी / अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य प्रशासक / अध्यक्ष / प्रभार अधिकारी / अधिशासी अधिकारी नगर पचायत कबरई (महोबा) से है।

(ङ) निरीक्षणकर्ता से तात्पर्य कर निरीक्षक या जिसको नगर पचायत कबरई (महोबा) द्वारा अधिकृत किया गया है।

3—नियमावली में दी गयी तालिका में वर्णित मदों पर निर्धारण धनराशि को नगर पचायत कबरई (महोबा) की सीमा में रहते हुये प्रतिदिन / प्रति घटना शुल्क के रूप में देना होगा।

4—नियमावली में दी गयी तालिका में वर्णित मदों पर शुल्क दिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत कबरई (महोबा) का होगा।

5—अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे प्रत्येक 5 वर्ष में उपविधि का पुनरीक्षण करायेंगे अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि उपविधि का पुनरीक्षण न हो सकता हो तो प्रत्येक 5 वर्ष में निर्धारित दाजे में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये शुल्क वसूलना सुनिश्चित करायेंगे।

क्र० सं०	कृत्य	नगर पंचायत द्वारा आरोपित धनराशि
1	2	3
		रु०
1	आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
2	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	550.00 प्रतिदिन
3	रेस्टारेन्ट मालिक द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,500.00 प्रतिदिन
4	होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	2,500.00 प्रतिदिन
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा खुले में कचरा डालने पर	1,000.00 प्रतिदिन
6	हलवाई चाट पकौड़ी फास्ट फूड आइसक्रीम गन्ने का रस एवं अन्य जूस सब्जी एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
7	गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर	2,000.00 प्रतिदिन
8	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी कचरा मलबा गोबर इत्यादि परिवहन करते हुये नगर पचायत की सडक पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन

1	2	3
		रु0
9	सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारी की दीवारों व उसके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवार ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	1,000.00 प्रतिदिन
10	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर तथा नाली तोड़ने की दशा में	1,500.00 प्रतिकृत्य तथा मरम्मत चार्ज
11	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	500.00 प्रतिदिन
12	क्रमांक 02 से 08 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के लिये निर्धारित कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर	1,000.00 प्रतिदिन
13	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साइकिल रिपेयरिंग कर आयल मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर	500.00 प्रतिदिन
14	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डा के छिलके इत्यादि सड़क पर आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
15	आम रास्ता, सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊंट, गधा, घोड़ा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
16	शादी विवाह स्थलों के बाहर खुले में कचरा डालने पर	500.00 प्रतिदिन
17	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुलेआम मांस मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	1,000.00 प्रतिदिन
18	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
19	हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटीपार्लरों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर	500.00 प्रतिदिन
20	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर	500.00 प्रतिदिन
21	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर जूते, चप्पल, खाद्य सामग्री बेचना, भोजनालय ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर	2,500.00 प्रतिदिन
22	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि द्वारा आम रास्तों, सड़क, फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर	500.00 प्रतिदिन
23	सड़क के किनारे वाशिंग मशीन लगाकर गाड़ियों की धुलाई करने की दशा में	1,500.00 प्रतिदिन
24	विभिन्न चिकित्सालय संस्थानों जैसे प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथालाजी इत्यादि के जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को नगरीय ठोस अपशिष्ट में अथवा सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर	500.00 प्रतिदिन तथा पानी का कनेक्शन काटने का चार्ज
25	खुले में शौच करने पर	500.00 प्रति घटना
26	खुले में पेशाब करने पर	100.00 प्रति घटना
27	व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर नीला एवं हरा डस्टबिन न रखने पर	100.00 प्रतिदिन
28	पान मसाला, गुटखा इत्यादि की पीक सड़क, पटरी, दीवार व सरकारी भवन में थूकने व धूम्रपान करने पर	पहली बार पाये जाने पर 100.00 दोबारा पाये जाने पर 500.00
29	नाली में कूड़ा/कचरा इत्यादि डालकर नाली अवरुद्ध करने पर	200.00 प्रति घटना
30	घरेलू (लेजर्स, हार्पिक, सेनेटरी पैड इत्यादि) तथा विनाशकारी इलेक्ट्रानिक कचरा खुले में डालने पर	200.00 प्रति घटना
31	खाली प्लाट में सालिड वेस्ट (कचरा, गोबर इत्यादि) फेंकने पर	100.00 प्रतिदिन
32	बल्क वेस्ट उत्पादक द्वारा अपने परिक्षेत्र में कचरा फैलाने/इधर-उधर फेंकने तथा आग लगाने इत्यादि पर	3,000 प्रति घटना

1	2	3
		रु0
33	मकान की तोड़-फोड/पुनः निर्माण/नव निर्माण से उत्पन्न कचरे को खाली प्लाट/सरकारी भूमि तथा इधर-उधर फेंकने पर	1,000.00 प्रतिदिन
34	गीले एवं सूखे कूड़े को पृथक-पृथक न देने पर	100.00 प्रतिदिन घरेलू 5,000.00 प्रति घटना (मैरिज होम, वैवाहिक स्थल प्रति हाल इत्यादि) 500.00 प्रति घटना (व्यवसायिक स्थल)
35	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की धारा के अन्तर्गत नगर पंचायत सीमान्तर्गत कूड़ा जलाने पर	5,000.00 का जुर्माना प्रति घटना तत्काल वसूल किया जायेगा
36	मा0 उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर, 2016 पर नगर विकास अनुभाग के आदेश संख्या 3595/नौ-5-2016-29 रिट 2014, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की धारा के अन्तर्गत नगर पंचायत सीमान्तर्गत भवन निर्माण सामग्री (C & D) की सड़क फुटपाथ, खाली प्लाट में डालने पर	5,000.00 का जुर्माना प्रति घटना
37	उ0प्र0 विकास अनुभाग-7 के शासन संख्या 1056/9-7-26-29 (लखनऊ 18 दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अनुपालन में 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा इससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य कैरी बैग जिनके विनिर्माण का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हो, के उपयोग तथा प्लास्टिक या थर्माकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कप्स, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टबलरों का विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात करते हुये पकड़े जाने पर।	100 ग्राम तक 1,000 101 ग्राम से 500 तक 200 501 ग्राम से 1 किलोग्राम तक 5,000 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक 10000 रु0 5 किलोग्राम से अधिक 25,000

दण्ड

उपरोक्त शुल्क प्रथम बार उल्लंघन करने पर आरोपित किया जायेगा। घटना की पुनरावृत्ति करने पर 2 से 3 गुना तक दण्ड वसूल किया जायेगा। जुर्माना लगाये जाने का अधिकारी/अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पंचायत कबरई (महोबा) में निहित होगा।

मूलचन्द्र,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, कबरई (महोबा)।

कार्यालय, उ0प्र0 शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ

अधिसूचना

उ0प्र0 शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ में सेण्ट्रल वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 65(5), के अन्तर्गत बोर्ड की बैठक दिनांक 31 मार्च, 2022 के अन्तर्गत निम्नलिखित अवकाफ को सीधे नियन्त्रण में लेते हुये प्रशासक पद पर इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया है कि प्रशासक वक्फ अधिनियम, 1995 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य करेंगे–

क्र0 सं0	वक्फ का नाम	पंजीयन संख्या	स्थित/जनपद	प्रशासक का नाम और पता	प्रशासक की नियुक्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	वक्फ मीर खुदा बक्श (कर्बला लाल कटोरा)	T-1011	लखनऊ	श्री सै0 जैगम अब्बास रिजवी पुत्र श्री गयूरूल हसन रिजवी, निवासी म0नं0 120-ए ब्लाक-ए0, हुसैनी मार्केट, कर्बला लाल कटोरा, लखनऊ	06 माह

1	2	3	4	5	6
2	वक्फ रौजा कासिम	कर्बला हजरत	T-1997	न्यू हैदराबाद, लखनऊ	श्री सै0 शौजब अब्बास पुत्र श्री मो0 हुसैन, निवासी 27/6/4, 3ये लेन, उतरौला हाऊस, राजाराम मोहन राय मार्ग, निकट कृषि भवन, लखनऊ।	01 वर्ष

अली जैदी,
अध्यक्ष,
उ0प्र0 शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड,
लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मैसर्स ओम इन्टरप्राईजेज 47, कोंजी कालोनी, मवाना रोड, अपोजिट डिफेन्स कालोनी, मेरठ (उ0प्र0) 250001 की साझीदारी में श्री सचिन नागर, श्री गणेश चन्द्र एवं श्रीमती विपिन कुमारी साझीदार थे। दिनांक 07 फरवरी, 2022 को श्री मोहित कुमार फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए हैं तथा श्री गणेश चन्द्र एवं सचिन नागर फर्म की साझीदारी से अपना-अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये। वर्तमान में फर्म की साझीदारी में श्रीमती विपिन कुमारी एवं मोहित कुमार साझीदार हैं। यह घोषणा करती हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विपिन कुमारी,
साझीदार,
मेसर्स ओम इन्टरप्राईजेज,
47, कोंजी कालोनी, मवाना रोड,
अपोजिट डिफेन्स कालोनी, मेरठ (उ0प्र0)।

NOTICE

Notice is hereby given that my daughter's correct name is Vainizn while by mistake has been mentioned Vainizah in Class 10th Passing Certificate 2021 of CBSE Board. Farhat Nazneen W/o Siraj Ahmad 479, Dariyabad, Prayagraj.

Farhat Nazneen.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-किसान कृषि यंत्र उद्योग, 19-सी, पोखरपुर, लाल बंगला, कानपुर-208010 की भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2006 के अनुसार फर्म में श्री रामचन्दर तोसनीवाल, श्री हरि प्रसाद तोसनीवाल, श्री गौरी प्रसाद तोसनीवाल, श्री निर्मल कुमार तोसनीवाल, श्री शरद कुमार तोसनीवाल, श्रीमती सारिका देवी तोसनीवाल, श्रीमती लक्ष्मी देवी तोसनीवाल साझीदार थे। संशोधित डीड 01 दिसम्बर, 2012 के अनुसार साझीदारी में श्रीमती कौशल्या देवी तोसनीवाल को शामिल किया गया है तथा श्री रामचन्दर तोसनीवाल, श्री गौरी प्रसाद तोसनीवाल, श्री निर्मल कुमार तोसनीवाल, श्री शरद कुमार तोसनीवाल, श्रीमती सारिका देवी तोसनीवाल, श्रीमती लक्ष्मी देवी तोसनीवाल साझीदारी से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं तथा प्रथम भागीदार श्री रामचन्दर का स्वर्गवास दिनांक 18 जुलाई, 2015 को हो गया है। वर्तमान में फर्म में श्री हरि प्रसाद तोसनीवाल एवं श्रीमती कौशल्या देवी तोसनीवाल साझीदार हैं।

हरि प्रसाद तोसनीवाल,
पार्टनर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-कनोडिया आटो सेन्टर, 73/24, कलक्टरगंज, कानपुर-208001 के विधान में भागीदारी डीड दिनांक 07 मार्च, 2022 से फर्म की साझीदारी में चाँदनी कनोडिया पुत्री श्री सुरेश कुमार कनोडिया निवासिनी 128/379 के-ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर को शामिल किया गया है। वर्तमान में फर्म में श्री सुरेश कुमार कनोडिया, सुमेधा कनोडिया एवं चाँदनी कनोडिया साझीदार हैं।

सुमेधा कनोडिया,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 महावीर इण्टर प्राइजेज, ग्राम दूण्डली, दूण्डला, जिला फिरोजाबाद में स्थित है एफआईआर/0006912 उपरोक्त

फर्म में साझेदार विजय बहादुर पुत्र स्व० महावीर सिंह, लाल बहादुर सिंह पुत्र स्व० महावीर सिंह, संदीप चौधरी पुत्र स्व० महावीर सिंह, राज बहादुर पुत्र स्व० महावीर सिंह, सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 21 सितम्बर, 2019 को संचालन की थी, आज दिनांक 12 अप्रैल, 2021 को श्री रितिक चौधरी पुत्र श्री कुलदीप सिंह नये साझेदार सम्मिलित हो गये हैं अब फर्म को विजय बहादुर, लाल बहादुर सिंह, संदीप चौधरी, राज बहादुर एवं श्री रितिक संचालित करेंगे।

विजय बहादुर,
साझेदार,
मे० महावीर इण्टरप्राइजेज,
ग्रा० टूण्डली टूण्डला,
जिला फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स हरीराम मोतीलाल सर्विस स्टेशन, शेरगढ़, तहसील-छाता, जिला-मथुरा (उ०प्र०) में श्री के०एस० सागर उक्त फर्म में 40% के, श्री शशिकान्त सागर 30% के व रविकान्त सागर 30% के भागीदार रहे हैं, परन्तु दिनांक 06 जुलाई, 2021 को उक्त फर्म के प्रारम्भिक व मुख्य भागीदार श्री के०एस० सागर का वृद्धावस्था के कारण आकस्मिक निधन हो गया है। अतः अब फर्म में उपरोक्त मृतक की 40% की भागीदारी का आधा-आधा हिस्सा यानि कि 20%-20% फर्म में विद्यमान उनके दोनों भागीदार पुत्रों के हिस्से (30%-30%) में शामिल होकर क्रमशः श्री शशिकान्त सागर का 60% तथा रविकान्त सागर 50% के साझेदार नियत हैं।

शशिकान्त सागर,
पार्टनर,
मेसर्स हरीराम मोतीलाल,
सर्विस स्टेशन, शेरगढ़, तहसील-छाता,
जिला-मथुरा (उ०प्र०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री रामकृष्ण गैस सर्विस 31 एल०जी०एफ०, रीगल प्लाजा, सी०पी०-103, रिंग रोड, से०-16, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016, रजि० सं० 201960 का पंजीकरण दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 को कराया गया था एवं संशोधन दिनांक 04 मार्च, 2019 को कराया गया था उक्त फर्म में निर्मला अवस्थी प्रथम एवं प्रभात कुमार अवस्थी द्वितीय एवं निखिल अवस्थी तृतीय साझीदार थे, जिसमें तृतीय साझेदार निखिल अवस्थी पुत्र प्रभात कुमार अवस्थी, निवासी 537-बीएचए/150 भारत नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ साझेदारी फर्म से दिनांक 05 मार्च, 2022 से हट गये हैं। उक्त तिथि से पूर्व के तृतीय साझेदार का भविष्य में कोई लेना-देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में निर्मला अवस्थी प्रथम एवं प्रभात कुमार अवस्थी द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं को पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

निर्मला अवस्थी,
साझेदार,
मेसर्स श्री रामकृष्ण गैस सर्विस,
31 एल०जी०एफ०, रीगल प्लाजा,
सी०पी०-103, रिंग रोड, से० 16,
इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० गर्ग रीसर्फेसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन, एफ-4 ब्लाक नं० 41/4बी, ।st फ्लोर फ्रेन्ड्स टॉवर, संजय पैलेस आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में हम श्री राजेन्द्र प्रसाद गर्ग, श्रीमती नेहा अग्रवाल, श्री नीरज कुमार अग्रवाल, श्रीमती प्रेमरानी गर्ग, श्री आलोक गर्ग, निवासीगण कमला नगर, आगरा सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 28 जून, 2007 को संचालन की थीं, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 श्रीमती नेहा अग्रवाल, श्री नीरज अग्रवाल, निवासीगण कमला नगर, आगरा फर्म से पृथक् हो गये हैं। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से श्री समर्थ गर्ग साझेदार हो गये हैं। अब फर्म को श्री राजेन्द्र प्रसाद गर्ग, श्री आलोक गर्ग, श्रीमती प्रेमरानी गर्ग, श्री समर्थ गर्ग संचालित करेंगे।

राजेन्द्र प्रसाद गर्ग,
साझेदार।

सूचना

फर्म मे० गौरांग कोल्ड स्टोरेज खसरा नं० 179/1 ग्राम गढ़ी रामपाल मौजा बड़ोखरा खुर्द, पो० अ० शमसाबाद, तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा पत्रावली संख्या एजी/5966 में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 आनन्द बरूआ पुत्र श्री हरीशंकर बरूआ, निवासी एम० 8 रश्मि

नगर कमला नगर, आगरा एवं श्रीमती रजनी बरूआ पत्नी श्री आनन्द बरूआ, निवासी एम-8 रश्मि नगर कमला नगर, आगरा फर्म की भागीदारी सम्मिलित हुये दिनांक 12 फरवरी, 2022 को भी श्री हरीशंकर बरूआ पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद बरूआ, निवासी एम-8 रश्मि नगर कमला नगर, आगरा का निधन हो चुका है वर्तमान में साझेदार मिथलेश बरूआ, आनन्द बरूआ, रजनी बरूआ साझीदार है।

आनन्द बरूआ,
साझेदार,
मे० गौरांग कोल्ड स्टोरेज,
खसरा नं० 179/1 ग्राम गढ़ी रामपाल,
मौजा बडोवरा खुर्द, पो० आ० शमसाबाद,
तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स ऐरी बिल्डर्स, ए-701, सप्तम ताल रॉयल इस्टेट अपार्टमेन्ट वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें दिनांक 30 नवम्बर, 2019 से फर्म की साझेदारी से एक साझेदार इमरान अहमद पुत्र मोहम्मद नबी ग्राम व पोस्ट मंगरया रायपुर, थाना गम्भीरपुर, जिला आजमगढ़, उ०प्र० से निकल रहे हैं, वर्तमान में फर्म में तीन साझेदार मो० आरिफ पुत्र मो० शुएब, लखनऊ, अब्दुल्लाह अंसारी पुत्र मो० खालिद, लखनऊ एवं श्रीमती योजना सिंह पत्नी ए०के० सिंह, लखनऊ फर्म में है। जिसकी सूचना दी जा रही है।

अब्दुल्ला अन्सारी,
साझेदार,
1004/जी०डब्लू०एफ० अपार्टमेन्ट, गोमतीनगर,
एक्सटेन्शन गोमतीनगर, लखनऊ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० टीकाराम बच्चन लाल, जी०टी० रोड, बेवर, जिला मैनपुरी में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

फर्म में दिनांक 07 फरवरी, 2022 को श्री वात्सल्य गुप्ता पुत्र श्री विवेक शंकर गुप्ता, निवासी ग्राम व पोस्ट बेवर, जिला मैनपुरी नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा उक्त दिनांक को ही फर्म के पूर्व प्रथम पक्ष भागीदार श्री रामसरन गुप्ता पुत्र श्री बच्चन लाल, निवासी ग्राम व पोस्ट बेवर, जिला मैनपुरी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं। अब फर्म में श्री विवेक शंकर गुप्ता व श्री वात्सल्य गुप्ता भागीदार हो गये हैं।

विवेक शंकर गुप्ता,
भागीदार,
मे० टीकाराम बच्चन लाल,
जी०टी० रोड, बेवर, जिला मैनपुरी।

पी०एस०यू०पी०–2 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई०।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ०प्र०, प्रयागराज।